IslamHouse.com

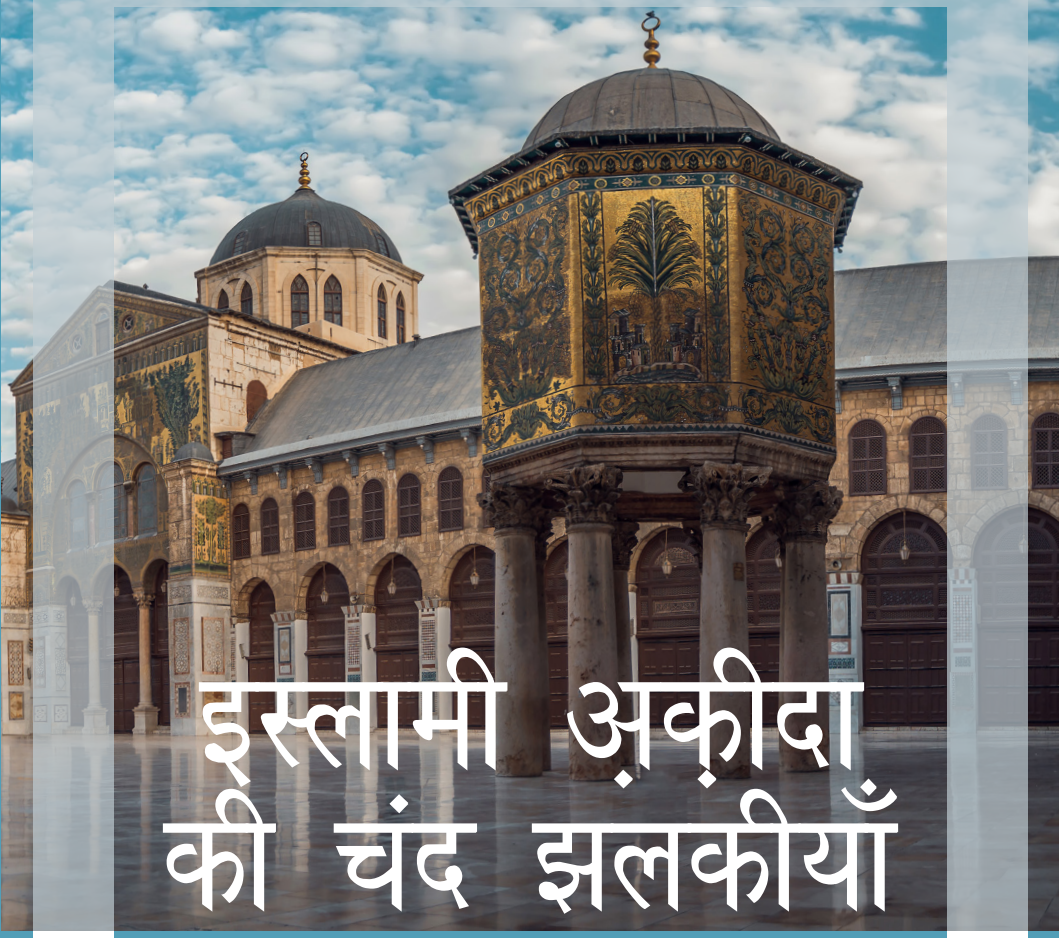

مركز أصول
OsoulCenter
www.osoulcenter.com

इस्लामी अक़ीदा की चंद झलकीयाँ

लेखक

अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन मर्ज़ूक़ अत्तरीफ़ी

अनुवादक

ज़ाकिर हुसैन वरासतुल्लाह

Hindi
हिंदी
الهندية

فصول في العقيدة

(الرسالة الشامية)

المؤلف

عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

الترجمة

ذاكر حسين وراثة الله

المراجعة

ذاكر حسين وراثة الله

Hindi

الهندية

हिंदी

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो
बड़ा मेहरबान (कृपालु) निहायत रहम
करने वाला (दयालु) है

ⓒ **المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد و توعية الجاليات بالربوة، ١٤٤٠هـ**

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

وراثة الله، ذاكر حسين

فصول في العقيدة: اللغة الهندية . / ذاكر حسين وراثة الله. - الرياض، ١٤٤٠هـ

٨٤ ص، ١٤ سم x ٢١ سم

ردمك : ١-٣٢-٨٢٤٩-٦٠٣-٩٧٨

١- العقيدة الإسلامية أ. العنوان

ديوي ٢٤٠ ١٤٤٠/١١٤٦٩

رقم الايداع: ١٤٤٠/١١٤٦٩

ردمك : ١-٣٢-٨٢٤٩-٦٠٣-٩٧٨

مركز أصول
OsoulCenter
www.osoulcenter.com

This book has been conceived, prepared and designed by the Osool International Centre. All photos used in the book belong to the Osool Centre. The Centre hereby permits all Sunni Muslims to reprint and publish the book in any method and format on condition that 1) acknowledgement of the Osool Centre is clearly stated on all editions; and 2) no alteration or amendment of the text is introduced without reference to the Osool Centre. In the case of reprinting this book, the Centre strongly recommends maintaining high quality.

+966 11 445 4900

+966 11 497 0126

P.O.BOX 29465 Riyadh 11457

osoul@rabwah.sa

www.osoulcenter.com

विषय सूची

भूमिका	9
पहली झलकी प्यारा दीन इस्लाम है	13
दूसरी झलकी इस्लाम की तफ़्सीर का मसदर (इस्लाम की व्याख्या का उद्गम तथा सोर्स)	17
तीसरी झलकी बंदों पर अल्लाह का हक़ और अधिकार	21
चौथी झलकी ईमान और कुफ	25
पाँचवीं झलकी ईमान	33
छठी झलकी अल्लाह के असमा व सिफ़ात	39
सातवीं झलकी कुरआन अल्लाह का कलाम है	45
आठवीं झलकी अ़क़्ल और नक़्ल (विवेक तथा वह्य)	47
नवीं झलकी शरीअ़त साज़ी (विधान प्रवर्तन)	53
दसवीं झलकी तक़दीर तथा भाग्य	57
गियारहवीं झलकी मौत तथा उसके बाद होने वाली चीज़ें	61
बारहवीं झलकी इमामे वक़्त और शासक की इताअ़त	65
तेरहवीं झलकी जिहाद	69
चौदहवीं झलकी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम	73
पंदरहवीं झलकी स्पष्ट दलील के बिना कुफ़्र का फ़त्वा न लगाना	77
सोलहवीं झलकी हुर्रिय्यत और आज़ादी	79

भूमिका

शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान (कृपालु) निहायत रहम करने वाला (दयालु) है

सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जो हर तरह की हम्द व सना का मुस्तहिक़ (जो सर्व प्रकार प्रशंसा तथा स्तुति का हक़दार) है, उसकी तारीफ़ें तथा उसकी स्तुति शुमार नहीं की जा सकतीं, और उसी के लिए है आद्योपांत कृपा एवं करुणा (उसी का फ़ज़्ल व करम है शुरू से अख़ीर तक)।

मैं गवाही देता हूँ कि उसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक है न साझी, और न कोई उसका दृष्टांत है न अंशी।

और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं।

अम्मा बा'द (तत्पश्चात):

यह मुख़्तसर अ़क़ीदा (संक्षिप्त धर्म-विश्वास) है, जिसे मैं ने अहले शाम (सीरिया वासीयों) के लिए तैयार किया। शाम की ज़मीन जायदाद पर नसारा लोग फिर बातिनी फ़िर्क़े लगभग सौ साल तक अपना सिक्का जमाये रखे। उसके बाद अहले शाम उसके वारिस बने। अल्बत्ता फ़ितनों का सिल्सिला इसके बाद भी जारी रहा, जिसके नतीजे में इस्लाम के उसूल व फ़ुरूअ् (मूल तथा उसके शाखाओं) में बहुत कुछ तब्दीलीयाँ (परिवर्तन) आ गईं।

शाम वालों की एक जमाअ़त ने तथा उनके अ़लावा दूसरे भाईओं ने मुझ से तलब किया कि मैं उनके लिए उस सवाल का जवाब लिखूँ जिस बारे में बंदा क़ियामत के दिन पूछा जायेगा, यानी बंदों पर अल्लाह का वह कौनसा हक़ है जिसकी वसीयत उस ने नूह अ़लैहिस्सलाम को और उनके बाद आने वाले तमाम नबीयों से की, और जिस पर इस्लाम के उस पैग़ाम का ख़ातिमा (अंत) हुआ

जो उम्मी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर नाज़िल किया गया। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣]

''अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिए वही दीन मुक़र्रर किया है जिसके क़ायम करने का उस ने नूह को हुक्म दिया था और जो वह्य (द्वारा) हम ने तेरी तरफ़ भेज दिया है, और जिसका ताकीदी हुक्म हम ने इब्राहीम और मूसा और ईसा को दिया था कि इस दीन को क़ायम रखना और इस में फूट न डालना।'' {अश्शूराः १३}

लालच और आर्ज़ूओं की ज़्यादती (अधिकता) के साथ ख़ाहिशात की इत्तिबा (मनोस्कामनाओं के अनुकरण) की ज़्यादती होती है। और ख़ाहिशात की इत्तिबा की ज़्यादती के साथ रायें और ख़यालात मुख़्तलिफ़ (मंतव्य विभिन्न) होते हैं। और रायें अधिक होने के साथ मुख़्तलिफ़ फ़िर्क़े और जमाअ़तें जनम ले लेती हैं।

और जब अ़रब तथा अनारब (ग़ैर अ़रब) के नज़दीक अ़रबी ज़ुबान कमज़ोर हो गई, तो तावीलात और शुबुहात के ज़रीया राज़ी करना (अपव्याख्या तथा संशय द्वारा सहमत करना) और क़ुरआन व हदीसों से (मर्ज़ी के मुताबिक़) अह्कामात को जायज़ करके पेश करना आसान हो गया। और जब ऐसा करना पहली सदी में पाये जाने वाले फ़िर्क़ों पर तथा उसके बाद जनम लेने वाली जमाअ़तों पर आसान हो गया, तो जो उनके बाद आने वाले हैं उनके लिए तो आसानी ही आसानी है, जब तक शहवत और शुबहा ज़िंदा रहे। क्योंकि शुबहा (संशय) असल में शहवत है, फिर वह शुबहे का रूप लेती है, फिर वह ऐसा मज़हब बन जाता है जिसकी इत्तिबा की जाने लगती है, फिर लोग उसकी आख़िरी हालत को देखते हुए उसे क़बूल कर लेते हैं, जबकि वे उसकी पहली हालत से बिल्कुल नावाक़िफ़ (अज्ञात) होते हैं। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمۡ رَسُولُۢ بِمَا لَا تَهۡوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقٗا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقٗا تَقۡتُلُونَ﴾ [البقرة: ٨٧]

''लेकिन जब कभी तुम्हारे पास रसूल वह चीज़ लाये जो तुम्हारी तबीअ़तों (प्रवृत्तिओं) के ख़िलाफ़ थी, तुम ने झट से तकब्बुर किया, पस बाज़ को तो झुटला दिया और बाज़ को क़त्ल भी कर डाला।'' {अल्बक़राः ८७}

इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने प्रवृत्ति का उल्लेख किया जो तकब्बुर का रूप लिया, फिर झुटलाने का, फिर दुशमनी का। और इसी तरह हर उम्मत में गुमराह फ़िर्क़े और बातिल अफ़कार (चिंताधारा) जनम लेते हैं।

अल्लाह तआ़ला ने अपने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर हक़ व हिदायत (सत्य तथा सठिक मार्ग) उतारा। चुनांचि जो इसे स्वच्छ रूप से (साफ़-सुथरा) पाना चाहता है, उसे चाहिए कि वह उसे उसके अस्ल और बुनियाद यानी वह्य से ले इस से पहले कि अ़क़्ल उसे मुकद्दर और मैला (विवेक उसे कलुषित तथा मलिन) कर दे। क्योंकि वह्य पानी की तरह और अ़क़्ल बर्तनों की तरह है। अल्लाह तआ़ला ने वह्य नाज़िल करके उसे अपने नबी मुहम्मद ﷺ के दिल में रख दिया, फिर नबी ﷺ उसे सहाबीयों में छोड़ गये, और फिर उन्हों ने उसे ताबेइ़न तक पहूँचा दिया।

और नये नये बर्तन जितने बढ़ते गये उतने ही मैले का इज़ाफ़ा होता गया। अतः उन में सब से शुद्ध और स्वच्छ पात्र (सहीह और साफ़ बर्तन) पहला पात्र यानी नबी ﷺ हैं, फिर सहाबा किराम ﷺ हैं। अबू मूसा अश्अ़री ﷺ से रिवायत है, उन्हों ने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«أَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي؛ فَإِذَا ذَهَبْتُ، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوْعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، أَتَى أُمَّتِي مَا يُوْعَدُونَ». [رواه مسلم برقم: ٢٥٣١].

''मैं अपने सहाबा के लिए अमान हूँ, पस जब मैं चला जाऊँगा तो मेरे सहाबा पर वह फ़ित्ने आयेंगे जिनका वह वादा किये गये हैं (जिन से डराये गये हैं)। और मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमान हैं, पस जब वह चले जायेंगे तो उन पर वह फ़ित्ने आयेंगे जिनका वह वादा किये गये हैं।'' {मुस्लिमः २५३१}

लिहाज़ा दीन सिवाय वह्य तथा क़ुरआन व सुन्नत के कहीं और से नहीं लिया जायेगा। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ﴾

[الجمعة: ٢]

''वही है जिस ने अनपढ़ लोगों में उन्ही में से एक रसूल भेजा जो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और उनको पाक करता है और उन्हें किताब व हिक्मत (क़ुरआन व सुन्नत) सिखाता है।'' {अल्जुमुआ़ः २}

पस दीन के बारे में हर वह इ़ल्म जो इन दोनों के अ़लावा से लिया जाये जह्ल व ख़ना (मूर्खता तथा अज्ञता) है।

वह्य को सबसे अच्छी तरह समझने वाले सहाबा ﷺ हैं। और हम वही ज़िक्र करने वाले हैं जिस पर वह्य दलालत करती है, और जिस पर सहाबा ﷺ की समझ मुत्तफ़िक़ हुई है, नीज़ जिस पर उम्मत के बेहतरीन दौर के लोगों का इजमा (एकमत) हुआ है। अतः हम अल्लाह पर भरोसा करके तथा उस से मदद तलब करते हुये क़लम उठाते हैं:

पहली झलकी
प्यारा दीन इस्लाम है

इस्लाम अल्लाह का वह वहीद (एकमात्र) दीन है जिसके अ़लावा कोई दीन वह अपने बंदों से -चाहे वह इंसान हूँ या जिन्नात- क़बूल नहीं करेगा। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]

''जो शख़्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे उसका दीन क़बूल न किया जायेगा, और वह आख़िरत में नुक़सान पाने वालों में होगा।'' {आले इम्रानः ८५}

और एक दूसरी जगह इरशाद फ़रमायाः

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ﴾ [آل عمران: ١٩]

''बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम ही है।'' {आले इम्रानः १९}

इस्लाम तमाम नबीयों का दीन है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]

''तुझ से पहले भी जो रसूल हम ने भेजा उसकी तरफ़ यही वह्य नाज़िल फ़रमाई कि मेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, पस तुम सब मेरी ही इबादत करो।'' {अल्अम्बियाः २५}

और एक दूसरे मक़ाम पर इरशाद फ़रमायाः

﴿إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَٰرُونَ وَسُلَيْمَٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٣ - ١٦٥]

''बेशक हम ने आपकी तरफ़ उसी तरह वह्य की है जैसे कि नूह और उनके बाद वाले नबीयों की तरफ़ की, और हम ने वह्य की इब्राहीम तथा इसमाईल और इसहाक़ तथा याकुब और उनकी औलादों पर, और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलैमान की तरफ़, और हम ने दाऊद को ज़बूर अ़ता फ़रमाई। और आप से पहले के बहुत से रसूलूँ के वाक़ेआ़त हम ने आप से बयान किये हैं और बहुत से रसूलूँ के नहीं भी किये, और मूसा से अल्लाह ने साफ़ तौर पर कलाम किया। हम ने इन्हें ख़ुश ख़बरीयाँ सुनाने वाले और आगाह करने वाले रसूल बनाये, ताकि लोगों की कोई हुज्जत और इलज़ाम रसूलूँ के भेजने के बाद अल्लाह पर न रह जाये, और अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और हिक्मत वाला है।'' {अन्निसाः १६३-१६५}

अल्लाह तआ़ला ने अपने नबी मुहम्मद ﷺ से इन तमाम अम्बिया यानी नूह, इब्राहीम, याक़ूब, दाऊद, सुलैमान, अय्यूब, यूसुफ़, मूसा, हारून, ज़करीया, यह्या, ईसा, इल्यास, इसमाईल, यसअ़, यूनुस और लूत अ़लैहिमुस सलाम का ज़िक्र करने के बाद फ़रमाया किः

﴿أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡۗ﴾ [الأنعام: ٩٠]

''यही लोग हैं जिनको अल्लाह ने सही रास्ता दिखाया, इस लिए आप उन्ही के रास्ते की पैरवी करें।'' {अल्अन्आ़मः ६०}

उसूल में सारे नबीयों का दीन मुत्तफ़िक़ तथा एक है, और सब में नहीं बल्कि बाज़ फ़ुरूअ़ में इख़तिलाफ़ (भिन्नता) है। फ़ुरूअ़ बदल सकते हैं पर उसूल कभी नहीं बदलते। अल्लाह तआ़ला ने बनी इस्राईल में मूसा और ईसा ﷺ दोनों को भेजा। पस ईसा ﷺ पर नाज़िल की गई किताब इंजील के ज़रीया मूसा ﷺ पर नाज़िल की गई किताब तौरात में मौजूद अहकाम में से चंद ही को मन्सूख़ (रहित) किया। इ़सा ﷺ ने अपनी क़ौम से जो कहा उसे नक़ल करते हुये अल्लाह तआ़ला फ़रमाता हैः

﴿وَمُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعۡضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيۡكُمۡۚ وَجِئۡتُكُم بِـَٔايَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾ [آل عمران: ٥٠]

''और मैं तौरात की तस्दीक़ करने वाला हूँ जो मेरे सामने है, और मैं इस लिए आया हूँ कि तुम पर कुछ वह चीज़ें हलाल करूँ जो तुम पर हराम कर

दी गई हैं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ, इस लिए तुम अल्लाह से डरो और मेरी फ़रमा बर्दारी करो।'' {आले इम्रानः ५०}

मूसा और ईसा अ़लैहिमस्सलाम ऐसे दो नबी हैं जो एक ही क़ौम में यानी बनी इस्राईल में भेजे गये, इसके बावुजूद दोनों की शरीअ़त में बहुत थोड़ा ही सा फ़र्क़ था (यानी चंद ही मसाइल में इख़तिलाफ़ था)। तो जो अम्बिया अलग अलग क़ौमों में भेजे गये, उनकी शरीअ़त में तो और ही कम मसाइल में फर्क़ और इख़तिलाफ़ होना चाहिये।

फिर कोई भी शरीअ़त न बची जिस में तहरीफ़ (हेर फेर) न हुई हो। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٧٨]

''यक़ीनन उन में ऐसा गरोह भी है जो किताब पढ़ते हुये अपनी ज़ुबान मरोड़ता है ताकि तुम उसे किताब ही की इबारत (लेख) ख़्याल करो, हालाँकि हक़ीक़त में वह किताब में से नहीं, और यह कहते भी हैं कि वह अल्लाह की तरफ़ से है, हालाँकि वास्तव में वह अल्लाह की तरफ़ से नहीं, वह तो जान बूझ कर अल्लाह पर झूट बोलते हैं।'' {आले इम्रानः ७८}

और एक दूसरे मक़ाम पर फ़रमायाः

﴿يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ﴾ [النساء: ٤٦]

''वह (कुछ यहूदी) कलाम को उनकी ठीक जगह से हेर फेर कर देते हैं।'' {अन्निसाः ४६}

चुनांचि यह तहरीफ़ आ़म लोगों तथा उनके हक़ (सत्य) तक पहुँचने के दरमियान -जैसे अल्लाह ने चाहा- रुकावट बन गई। और उनके सुधार तथा संशोधन के लिए नई नुबुव्वत की ज़रूरत पड़ी। इस लिए अल्लाह तआ़ला ने मुहम्मद ﷺ की नुबुव्वत के ज़रीया दीने हक़ (सत्य धर्म) को दुहराया। पस न इस्लाम है और न ही कोई दीने हक़ है सिवाय उसके दीन के। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान हैः

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥]

‘‘जो शख़्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे उसका दीन क़बूल न किया जायेगा, और वह आख़िरत में नुक़सान पाने वालों में होगा।’’ {आले इम्रानः ८५}

और अल्लाह तआ़ला ने मुहम्मद ﷺ की रिसालत को पूरी उम्मतों यानी इंसान व जिन्नात तथा अ़रब व अ़जम सब के लिए आ़म कर दिया। उसका फ़रमान हैः

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةٗ لِّلنَّاسِ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا ﴾ [سبأ: ٢٨]

‘‘और हम ने आपको सभी लोगों के लिए सिर्फ़ ख़ुशख़बरी सुनाने वाला और होशियार करने वाला बना कर भेजा है।’’ {सबाः २८}

और अबू हुरैरा ﷺ से मर्वी (वर्णित) है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः **«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».** [رواه مسلم: ١٥٣]

‘‘क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! इस उम्मत का कोई भी व्यक्ति चाहे वह यहूदी हो या नसरानी, मेरे बारे में सुनने के बाद भी मेरी शरीअ़त पर ईमान लाये बिना मर जाये, तो वह जहन्नमी है।’’ {मुस्लिमः १५३}

अल्लाह तआ़ला ने फेर बदल तथा परिवर्तन से ख़ुद क़ुरआने करीम की हिफ़ाज़त की ज़िम्मादारी ली है। फ़रमान हैः

﴿ إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]

‘‘हम ही ने इस ज़िक्र (क़ुरआन) को नाज़िल फ़रमाया है और हम ही उसके मुहाफ़िज़ (रक्षक) हैं।’’ {अल्हिज्रः ९}

दूसरी झलकी
इस्लाम की तफ़्सीर का मस्दर
(इस्लाम की व्याख्या का उद्गम तथा सोर्स)

इस्लाम की व्याख्या तथा उसके संबंध में अल्लाह की मुराद व मनशा (उद्देश) की कोई तफ़्सीर मोतबर (भरोसा योग्य) नहीं है मगर वही जो उस ने अपनी किताब कुरआन में और अपने नबी ﷺ की सुन्नत में की है। लोगों में अल्लाह के नबी मुहम्मद ﷺ से बढ़ कर कोई मुहतरम तथा क़ाबिले इ़ज़्ज़त नहीं, इसके बावुजूद वह नहीं थे मगर अपने रब की तरफ़ से एक मुबल्लिग़ और प्रचारक। जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]

''ऐ रसूल! जो कुछ भी आपकी तरफ़ आपके रब की जानिब से नाज़िल किया गया है पहुँचा दीजिये।'' {अल्माइदाः ६७}

और तबलीग़ के साथ साथ नबी की ज़िम्मादारी उसकी वज़ाहत व तफ़्सीर (व्याख्या-विश्लेषण) भी है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ﴾ [النور: ٥٤]

''रसूल के ज़िम्मे तो वाज़ेह तौर पर पहुँचा देना है।'' {अन्नूरः ५४}

फिर यह वज़ाहत (स्पष्टिकरण) भी अल्लाह ही की तरफ़ से होती है। जैसाकि फ़रमान हैः

﴿فَإِذَا قَرَأۡنَٰهُ فَٱتَّبِعۡ قُرۡءَانَهُۥ ١٨ ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا بَيَانَهُۥ﴾ [القيامة: ١٨ - ١٩]

''जब हम उसे पढ़ लें (यानी जिब्रील ﷺ के ज़रीये से जब हम उसकी क़िराअत आप पर पूरी कर लें) तो आप उसके पढ़ने की पैरवी करें। फिर उसका वाज़ेह कर देना हमारे ज़िम्मे है।'' {अल्क़ियामाः १८-१९}

चुनांचि हदीस अल्लाह की तरफ़ से उसके नबी की ओर वह्य है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣ - ٤]

''और वह अपनी ख़ाहिश से कोई बात नहीं कहते हैं। वह तो सिर्फ़ वह्य है जो उतारी जाती है।'' {अन्नजमः ३-४}

इसी लिए जब आप ﷺ कोई सवाल पूछे जाते और आपके पास अपने रब की तरफ़ से पहले से कोई जवाब होता तो जवाब देते, वर्ना वह्य का इंतिज़ार फ़रमाते।

और सारे लोगों में सहाबा किराम ﷺ अपने नबी ﷺ की फ़ह्म व समझ से सब से ज़्यादा क़रीब हैं, और क़ुरआन के सिलसिले में उनकी समझ हुज्जत तथा दलील है। और जो व्यक्ति यह दावा करे कि दीन में अल्लाह के अ़लावा किसी और को हलाल व हराम संबंधी विधान रचना करने का अधिकार है, तो वह विधान रचना करने में अल्लाह का शरीक हो जायेगा, जिसके कुफ़्र व शिर्क होने में कोई दो राय नहीं।

अल्लाह तआ़ला ने अपनी किताब में अपना जो कलाम उतारा है वह बेमअ़ना व बेमतलब (निरर्थ तथा अर्थहीन) नहीं, बल्कि वह अल्लाह की चाहत के मुताबिक़ बमअ़ना तथा बमतलब (मअ़नादार और अर्थयुक्त) है। और उसके मअ़ना व मतलब की वज़ाहत भी सिर्फ़ अल्लाह ही करता है, या उसकी मख़लूक़ में से वह कर सकता है जिसको उस ने इसकी इजाज़त दी हो।

- क़ुरआने करीम में ग़ौर करने वाला उस से दो शर्तों के साथ मसले-मसायेल (विधि-विधान) निकाल सकता हैः
  - पहली शर्तः यह कि कलिमा और जुमले (शब्द तथा वाक्य) का अर्थ अ़रबी भाषा तथा उसकी बनावट और शैली से बाहर न निकले।
  - दूसरी शर्तः यह कि वह क़ुरआने करीम में वाज़ेह तौर पर साबित शुदा (प्रमाणित) किसी अर्थ के ख़िलाफ़ न हो।

पस हर वह बात जो अल्लाह की तरफ़ मन्सूब (संयोजन) की जाये अल्लाह

की नहीं होती। इसी लिए अहले किताब (यहूद व नसारा) तब ही गुमराह हुये जब उन्हों ने तकल्लुफ़ के साथ इसतिंबात किये (बनावटी तथा मनमानी अर्थ बयान किये) और मुह्कम (दृढ़ तथा स्पष्ट वाणी) को तोड़ मरोड़ करके पेश किये, ताकि मुतशाबिह को बिगाड़ (अस्पष्ट को विनष्ट) दे। अल्लाह तआ़ला उन्ही के बारे में फ़रमाता है:

﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٧٨]

''यक़ीनन उन में ऐसा गरोह भी है जो किताब पढ़ते हुये अपनी ज़ुबान मरोड़ता है ताकि तुम उसे किताब ही की इबारत (लेख) ख़्याल करो, हालाँकि हक़ीक़त में वह किताब में से नहीं, और यह कहते भी हैं कि वह अल्लाह की तरफ़ से है, हालाँकि वास्तव में वह अल्लाह की तरफ़ से नहीं, वह तो जान बूझ कर अल्लाह पर झूट बोलते हैं।'' {आले इम्रानः ७८}

इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि ''वह अपनी ज़ुबानों से किताब ही को मरोड़ता है'' दूसरी चीज़ को नहीं, ताकि उस मरोड़ी हुई चीज़ को किताब के बहुत ज़्यादा क़रीब देख कर उसका हिस्सा (अंश) समझ लो, जिसके नतीजे में वह तुम्हें गहराई के साथ गुमराह कर सकें।

तीसरी झलकी
बंदों पर अल्लाह का हक़ और अधिकार

अल्लाह तआ़ला का हक़ यह है कि बंदे हर तरह की इबादतें सिर्फ़ उसी के लिए ख़ास तथा निर्दिष्ट करें। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣]

''तुम सब का माबूद एक ही माबूद है, उसके अतिरिक्त कोई सच्चा माबूद नहीं, वह बहुत रहम करने वाला और बड़ा मेहेरबान (दयालु तथा कृपालु) है।'' {अल्बक़राः १६३}

और यह भी उसका हक़ है कि दिल, ज़ुबान तथा आ'ज़ा व जवारिह के आमाल (अंग-प्रत्यंगों के कर्मों) में उसके साथ किसी दूसरे को शरीक व साझी न ठहराया जाये। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦]

''और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न करो।'' {अन्निसाः ३६}

शिर्के अक्बर (बड़ा शिर्क) इंसान के तमाम नेक आमाल को बरबाद कर देता है। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान हैः

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥]

''यक़ीनन आपकी तरफ़ भी और आप से पहले (तमाम नबीयों) की तरफ़ भी वह्य की गई है कि अगर आप ने शिर्क किया तो बिला शुबह (निःसंदेह) आपका अ़मल बरबाद हो जायेगा, और आप ज़रूर घाटा उठाने वालों में से हो जायेंगे।'' {अज़्ज़ुमरः ६५}

इस आयत में मुख़ातब (संबोधित) नबी मुहम्मद ﷺ हैं, (अगर शिर्क किये

जाने पर उनका अ़मल भी बरबादी का शिकार हो जाये) तो उनके अ़लावा का क्या हाल होगा?!!

और अल्लाह तआ़ला बग़ैर तौबा के अपने बंदे के शिर्क को माफ़ करेगा ही नहीं। जैसाकि उसका फ़रमान है:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ [النساء: ٤٨]

"निश्चय अल्लाह अपने साथ शिर्क किये जाने को नहीं बख़्शता, और इसके सिवा जिसे चाहे बख़्श देता है।" {अन्निसाः ४८}

और फ़रमायाः

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٞ فَلَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡ﴾ [محمد: ٣٤]

"जिन लोगों ने कुफ़्र किया और अल्लाह के रास्ते से (दूसरों) को रोका, फिर कुफ़्र ही की हालत में मर गये तो (यक़ीन मानो कि) अल्लाह उन्हें हरगिज़ नहीं बख़्शेगा।" {मुहम्मदः ३४}

और जो शख़्स कुफ़्र की हालत में मरे वह जहन्नमी है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَمَن يَرۡتَدِدۡ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتۡ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَٰلُهُمۡ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ [البقرة: ٢١٧]

"तुम में से जो लोग अपने दीन से पलट जायें और कुफ़्र की हालत में मरें, तो उनके दुनियावी और उख़रवी सब आमाल बरबाद हो जायेंगे, यह लोग जहन्नमी हैं और हमेशा हमेशा जहन्नम ही में रहेंगे।" {अल्बक़राः २१७}

और एक दूसरी जगह फ़रमायाः

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَةُ ٱللَّهِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ﴾ [البقرة: ١٦١]

"यक़ीनन जो कुफ़्फ़ार अपने कुफ़्र ही पर मर जायें, उन पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत है।" {अल्बक़राः १६१}

कभी कभी काफ़िर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए नफ़ा बख़्श (उपकारी) होता है। तो यह अल्लाह की तरफ़ से उसे उसी तरह मुसख़्ख़र

बनाने के क़बील से (वशीभूत करने के प्रकार से) है, जिस तरह उस ने अपनी दीगर मख़लूक़ात को बहुत से फ़ायदे के लिए मुसख़्ख़र किया है, जैसे सूरज, चाँद, हवा और बादल वग़ैरा। बल्कि यह मख़लूक़ात लोगों के लिए ज़्यादा नफ़ा बख़्श हैं। क्योंकि कुफ़्र अल्लाह के इंकार ही पर वाक़ेअ् होता है, न कि फ़ित्रत (प्रकृति) के इंकार पर। नीज़ सज़ा भी अल्लाह के हक़ के इंकार पर होती है, फ़ित्रत के हक़ के इंकार पर नहीं।

चौथी झलकी
ईमान और कुफ़्र

ईमान और कुफ़्र ऐसे दो नाम और दो विधान (हुक्म) हैं जिन्हें अल्लाह तआ़ला ही नाज़िल व नाफ़िज़ फ़रमाता है। अतः अल्लाह की तरफ़ से बग़ैर किसी दलील व प्रमाण के किसी को काफ़िर नहीं गरदाना जायेगा।

- इस रूये ज़मीन (पृथ्वी) पर दो ही क़िस्म के लोग पाये जाते हैं, उनकी कोई तीसरी क़िस्म नहीं, और वह हैं:

मु'मिन तथा काफ़िर। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [التغابن: ٢]

''उसी ने तुम्हें पैदा किया है, पस तुम में से बाज़ तो काफ़िर हैं और बाज़ मु'मिन हैं।'' {अत्तग़ाबुनः २}

और उन दोनों पर वही हुक्म तथा विधान लागू हूँगे जो अल्लाह ने अपनी किताब में और अपने नबी की सुन्नत में नाज़िल फ़रमाया है।

- और रही बात मुनाफ़िक़ों की तो वहः
  - या तो ऐसे काफ़िर हैं जो कुफ़्र को छुपाते हैं और ईमान को ज़ाहिर (प्रकट) करते हैं। और यह उस आदमी की तरह हैं जो अल्लाह, उसकी किताब और उसके रसूल पर ज़ाहिरी तौर पर ईमान रखता है, और हक़ीक़त में वह इनको झुटलाने वाला होता है। और इसी को निफ़ाक़े अक्बर (बड़ा निफ़ाक़) कहते हैं।
  - या वह ऐसे मुस्लिम हैं जो नाफ़रमानी को छुपाते हैं और फ़रमा बर्दारी का इज़हार करते हैं। और यह उस शख़्स की तरह हैं जो अ़ह्द व पैमान

की वफ़ा का इज़हार करता है और ग़द्दारी को छुपाये रखता है, और बात में सच्चाई का इज़हार करते हुये दिल में उसका उल्टा गोपन तथा पोशीदा रखता है। और इसी को निफ़ाक़े अस्ग़र (छोटा निफ़ाक़) कहते हैं।

मुनाफ़िक़ के साथ उसके ज़ाहिर के मुताबिक़ मुसलमानों जैसा मामला तथा आचरण किया जायेगा।

मु'मिन के माल और उसके ख़ून में अस्ल (मूल) यह है कि वह हराम है, और काफ़िर का माल और ख़ून हलाल है, लेकिन यह हुक्म मुतलक़ (विधान शर्तमुक्त) नहीं है। क्योंकि काफ़िर के माल व ख़ून कभी कभी महफ़ूज़ होते हैं, जैसेः

मुआ़हिद काफ़िरः यानी वह काफ़िर जो अपने ही मुल्क में रहे और हमारे तथा उसके दरमियान अ़ह्द हो कि न वह हम से लड़ेगा और न हम उस से लड़ेंगे।

मुस्तामिन काफ़िरः यानी वह काफ़िर जिसके और हमारे दरमियान कोई अ़ह्द व पैमान न हो, लेकिन हम ने उसको महदूद वक़्त (निर्धारित समय) के लिए अमान दिया हो, जैसे तिजारत की गर्ज़ से या इस्लाम को समझने के मक़सद से महदूद वक़्त के लिए किसी काफ़िर का हमारे हिफ़्ज़ व अमान में हमारे मुल्क में आना।

ज़िम्मी काफ़िरः यानी वह काफ़िर जिसके और हमारे दरमियान अ़ह्द व पैमान हो कि वह हमारे मुल्क में हिफ़ाज़त (निरापत्ता) के साथ जिज़या (कर) दे कर रहेगा।

और कभी कभी मु'मिन अपने गुनाह के सबब क़त्ल किया जायेगा, जैसेः अगर उस ने किसी मुस्लिम को क़त्ल किया तो उसको भी क़िसास के तौर पर क़त्ल किया जायेगा। इसी तरह शादी शुदा ज़ानी को बतौरे हद (विवाहित व्याभिचारी को दंड विधि के तौर पर) क़त्ल किया जायेगा।

❁ किसी के ऊपर काफ़िर का फ़त्वा नहीं लगाया जायेगा मगर जिसे अल्लाह और उसके रसूल ﷺ ने काफ़िर गरदाना हो, जैसेः

❁ अल्लाह और उसके नबी मुहम्मद ﷺ को झुटलाने वाला।

❁ अल्लाह और उसके रसूल ﷺ का मज़ाक़ उड़ाने वाला। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ مُجْرِمِينَ﴾

[التوبة: ٦٥-٦٦]

''कह दीजिये कि अल्लाह, उसकी आयतें और उसका रसूल ही तुम्हारे हँसी मज़ाक़ के लिए रह गये हैं। तुम बहाने न बनाओ, यक़ीनन तुम अपने ईमान के बाद बेईमान हो गये, अगर हम तुम में से कुछ लोगों को माफ़ कर भी दें तो कुछ लोगों को संगीन सज़ा भी देंगे क्योंकि वह वाक़िई मुजरिम हैं।'' {अत्तौबाः ६५-६६}

❁ दीदा दानिस्ता हक़ की मुख़ालफ़त (जान बूझ कर सत्य की विरोधिता) करते हुये अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी करने वाला।

❁ इस्लाम के किसी क़तई हुक्म (अकाट विधान) का इंकार करने वाला।

❁ अल्लाह पर झूट बाँधने वाला। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ﴾

[النحل: ١٠٥]

''झूठा इल्ज़ाम तो वही बाँधते हैं जिन्हें अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं होता, यही लोग झूठे हैं।'' {अन्नह्लः १०५}

और एक दूसरी जगह फ़रमायाः

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَٰفِرِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٨]

''उस से बड़ा ज़ालिम (यानी काफ़िर) कौन होगा जो अल्लाह पर झूट बाँधे या जब उसके पास हक़ आ जाये वह उसे झुटलाये, क्या ऐसे काफ़िरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है।'' {अल्अ़न्कबूतः ६८}

इस आयत में ज़ुल्म की तफ़्सीर कुफ़्र से की गई है।

❁ कोई इबादत अल्लाह के अ़लावा किसी और के लिए करने वाला। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٧]

"जो शख़्स अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को पुकारे जिसकी कोई दलील उसके पास नहीं, तो उसका हिसाब उसके रब के ऊपर है, बेशक काफ़िर लोग नजात से महरूम हैं।" {अल्मु'मिनूनः ११७}

❁ बराबर है, चाहेः

❁ उसकी इबादत ख़ालिस ग़ैरुल्लाह के लिए थी, या दूसरे माबूदों को वास्ता और माध्यम बनाया, सब के सब कुफ़्र है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: ١٨]

"और यह लोग अल्लाह को छोड़ कर ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो न उनको नुक़सान पहुँचा सकें, और न उनको फ़ायदा पहुँचा सकें, और कहते हैं कि यह अल्लाह के पास हमारे सिफ़ारिशी हैं, आप कह दीजिये कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज़ की ख़बर देते हो जो अल्लाह को मालूम नहीं, न आसमानों में और न ज़मीन में, वह पाक और बुलंद व बरतर है उन लोगों के शिर्क से।" {यूनुसः १८}

❁ या जो चीज़ सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला के लिए ख़ास है उसे ग़ैरुल्लाह के लिए बना देना, जैसेः शरीअ़त साज़ी तथा हुक्म लागू और चालू करना (विधान प्रवर्तन करना) अल्लाह ही का अधिकार है, पस वही हलाल करेगा और हराम भी। (अतः यह अख़्तियार ग़ैरुल्लाह को देना कुफ़्र है) क्योंकि शरीअ़त साज़ी और विधान प्रवर्तन करने को अल्लाह ने इबादत का नाम दिया है। जैसाकि फ़रमायाः

﴿ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾ [يوسف: ٤٠]

"फैसला देना सिर्फ़ अल्लाह ही का काम है, उसका हुक्म है कि तुम सब उसके सिवा किसी और की इबादत न करो।" {यूसुफ़: ४०}

- या ग़ैरुल्लाह के लिए इल्मे ग़ैब (परोक्ष के ज्ञान) का दावा किया, जैसे जादू और कहानत तथा ज्योतिष। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया:

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥]

"कह दीजिये कि आसमानों और ज़मीन वालों में से अल्लाह के सिवा कोई ग़ैब नहीं जानता।" {अन्नमूल: ६५}

- या ग़ैरुल्लाह के लिए पैदा करने की सलाहियत (क्षमता) का तथा कायनात और ज़िंदगी व मौत में तसर्रुफ़ (ख़ुर्द बुर्द और आगे पीछे) करने का अ़क़ीदा रखे। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया:

﴿أَمْ جَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوا۟ كَخَلْقِهِۦ فَتَشَٰبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚ قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّٰرُ﴾

[الرعد: ١٦]

"क्या जिन्हें यह अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हैं उन्हों ने भी अल्लाह की तरह मख़लूक़ पैदा की है कि उनकी निगाहों में पैदाइश मुश्तबह (संदिग्ध) हो गई? कह दीजिये कि केवल अल्लाह ही सभी चीज़ों का पैदा करने वाला है, वह अकेला है और ज़बरदस्त ग़ालिब है।" {अर्रअ़्दः १६}

- और इसी तरह वह शख़्स जो काफ़िरों से महब्बत और उनकी मदद करते हुये मु'मिनों को छोड़ कर उन को दोस्त बना ले। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया:

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١]

"तुम में से जो भी उन में से किसी से दोस्ती करे बेशक वह उन्ही में से है।" {अल्माइदाः ५१}

- नीज़ वह व्यक्ति जो इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करने पर क़ादिर (सक्षम) हुआ, लेकिन उसे छोड़ दिया और अपने अख़्तियार से उस से मुँह मोड़ लिया, तो वह भी काफ़िर है, अगरचे वह हक़ीक़त में जाहिल हो, क्योंकि वह ऐसा जाहिल है जिसके लिए अपनी जिहालत को

दूर करना मुमकिन था पर उस ने ऐसा नहीं किया। इसी लिए अल्लाह तआ़ला ने मुशरिकीन के बारे में फ़रमायाः

﴿بَلۡ أَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡحَقَّ فَهُم مُّعۡرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٤]

''बात यह है कि उन में से अकसर लोग हक़ को नहीं जानते, पस इसी वजह से मुँह मोड़े हुये हैं।'' {अल्अम्बियाः २४}

इस आयत में अल्लाह ने फ़रमाया कि वह जाहिल हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी और अख़्तियार से।

और एक दूसरे मक़ाम पर अल्लाह तआ़ला ने इरशाद फ़रमायाः

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعۡرِضُونَ﴾ [الأحقاف: ٣]

''और काफ़िर लोग जिस चीज़ से डराये जाते हैं मुँह मोड़ लेते हैं।'' {अल्अह्क़ाफ़ः ३}

और हक़ सुनते समय उस से मुँह मोड़ लेने के सबब हक़ की तफ़ासील (विवरण) से वाक़िफ़ न होना कोई उ़ज़्र नहीं है। क्योंकि यही था अकसर उम्मतों की गुमराही का कारण कि वह हक़ का एक जुज़ (अंश) सुनते थे फिर जिहालत का इज़हार करते हुये उसकी तफ़ासील से मुँह मोड़ लेते थे।

चुनांचि कायेनात और शरीअ़त की दलीलों से ला परवाही बरतना अकसर काफ़िरों की आ़दत है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَكَأَيِّن مِّنۡ ءَايَةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ يَمُرُّونَ عَلَيۡهَا وَهُمۡ عَنۡهَا مُعۡرِضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥]

''आसमानों और ज़मीन में बहुत सी निशानियाँ हैं जिन से यह मुँह मोड़े गुज़र जाते हैं।'' {यूसुफ़ः १०५}

और एक दूसरी जगह इरशाद फ़रमायाः

﴿بَلۡ أَتَيۡنَٰهُم بِذِكۡرِهِمۡ فَهُمۡ عَن ذِكۡرِهِم مُّعۡرِضُونَ﴾ [المؤمنون: ٧١]

''सच तो यह है कि हम ने उन्हें उनकी नसीहत पहूँचा दी है, लेकिन वह अपनी नसीहत से मुँह मोड़ने वाले हैं।'' {अल्मु'मिनूनः ७१}

कुछ इल्म के होते हुये मुँह मोड़ लेने से लोगों के आपसी हुक़ूक़ साक़ित

(परस्पर अधिकार ख़त्म) नहीं होते, तो अल्लाह का हक़ क्योंकर साक़ित हो सकता है?!

अगर इंसान की अ़क़्ल अल्लाह की आयतों और निशानीयों के पास ठहर कर ग़ौर न करे, तो उन निशानीयों के मक़ासेद (उद्देशों) में से उस से उतनी मिक़्दार (परिमाण) फ़ौत होगी जितनी उसकी जल्द बाज़ी होगी। पस वह उस से मुस्तफ़ीद (लाभान्वित) नहीं हो सकेगा, यहाँ तक कि अगर वह दलील क़ुव्वत के एतेबार से बहुत मज़बूत और इतना ज़ाहिर भी हो कि रोज़ाना आँखों के सामने आती है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ ءَايَٰتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٢]

''आसमान को महफ़ुज़ छत भी हम ही ने बनाया है लेकिन लोग उसकी क़ुदरत के नमूने पर ध्यान ही नहीं धरते।'' {अल्अम्बियाः ३२}

इंसान का यह गुमान (धारणा) ग़लत है कि हक़ की तफ़ासील से मुँह मोड़ लेना और उसे पसे पुश्त (पीठ पीछे) डाल देना, उसको उसके अंजाम और नतीजे से नजात दे देगा।

हक़ से मुँड़ मोड़ने का सबबः

या तो ग़ुरूर व घमंड है, या खेल तमाशा है, या सैर व तफ़रीह और मनोरंजन है। इसी लिए जब मुसीबतें उसे घेर लेती हैं, उसका ग़ुरूर मिट्टी में मिल जाता है और सैर व तफ़रीह ख़त्म हो जाते हैं। फिर हक़ उसके सामने आ जाता है और वह उसकी ओर पलट आता है।

पाँचवीं झलकी
ईमान

ईमान की ता'रीफ़:

क़ौल, अ़मल और एतिक़ाद के मजमूये (कथन, कर्म तथा आस्था-विश्वास के समष्टि) का नाम ईमान है। जैसे मग़रिब की नमाज़ तीन रकअ़त है, अगर उन में से एक घट जाये तो उसे मग़रिब का नाम नहीं दिया जायेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर ईमान के मजमूये -यानी क़ौल, अ़मल और एतिक़ाद- में से एक कम हो जाये तो उसे भी ईमान का नाम नहीं दिया जायेगा।

मज़कूरा (उक्त) तीन चीज़ों -जिन में से किसी एक को नकारने से ईमान मादूम (लुप्त) हो जाता है- **की हक़ीक़त और वास्तविकता:** जिसे मुहम्मदी शरीअ़त ने ख़ास तथा निर्दिष्ट किया हो वह इन तीन चीज़ों की हक़ीक़त है। अतः सिर्फ़ 'लोगों के लिए भलाई चाहना और कीना व धोका फ़रेब से महफ़ूज़ रहना' एतिक़ाद का मतलब नहीं है। क्योंकि (फ़ितरी तक़ाज़े की बुनियाद पर) अक्सर नफ़्सों का मैलान (झुकाव) इसकी तरफ़ होता है, अगरचे ख़ालिक़ के वुजूद (स्रष्टा के अस्तित्व) पर ईमान न रखते हूँ। बल्कि उसका मतलब है: दिल का क़ौल और दिल का अ़मल।

दिल का क़ौल: यानी इस बात की तसदीक़ करना कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, और मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं, और नबी करीम ﷺ अपने रब की तरफ़ से जो भी लाये हैं वह हक़ तथा सत्य है।

और दिल का अ़मल:

यानी अल्लाह, उसके नबी और दीने इस्लाम से महब्बत करना, नीज़ उस चीज़ से भी महब्बत करना जिस से अल्लाह और उसके रसूल महब्बत करते हैं, और तमाम इबादतों में इख़्लास तथा लिल्लाहियत अपनाना।

दिल का क़ौल भलाई के आ़म अल्फ़ाज़ और शब्दों -जैसे सच्ची बात करना, वालिदैन के साथ नरमी से बात करना, लोगों से सलाम कलाम करना और गुमराह को रास्ता दिखाना- में महदूद (सीमित) नहीं है। क्योंकि यह ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हर नफ़्स पसंद करता है, अगरचे वह अल्लाह पर ईमान न रखता हो और उसके वुजूद का मुन्किर हो। लिहाज़ा दिल के क़ौल का मतलब सिर्फ़ वह चीज़ है जिसे मुहम्मदी शरीअ़त ने ख़ास तथा निर्दिष्ट किया है, जिसका आ'ला दर्जा (सर्वश्रेष्ठ स्तर): शहादतैन (अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह व अश्हुदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु) का पढ़ना और तस्बीह व तक्बीर (सुब्हानल्लाह और अल्लाहु अक्बर) का कहना है।

इसी तरह दिल का अ़मल नेकी के आ़म आ'माल और कर्मों -जैसे वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक और अच्छा बर्ताव करना, रास्ते से तक्लीफ़ देह (कष्टदायक) चीज़ों को हटाना, ग़रीबों को खाना खिलाना, मज़लूम की मदद करना और मेहमानों की मेहमान नवाज़ी वग़ैरा करना- में महदूद नहीं है। क्योंकि बेईमान नफ़्स भी इसकी तरफ़ मायेल होते हैं। लिहाज़ा दिल के अ़मल से मुराद वह अ़मल है जिसे मुहम्मद ﷺ ने तबलीग़ (पहूँचाने) के लिए ख़ास तथा निर्दिष्ट किया है, जैसे नमाज़, ज़कात, रोज़ा और हज्ज वग़ैरा।

ख़ालिस अल्लाह के लिए किये जाने वाले नेकी और भलाई के वह आ'माल जिन में तमाम आसमानी रिसालतें एक हैं और उन पर इंसानी फ़ित्रत (मानवीय स्वभाव) दलालत करती है -जैसे: लोगों के लिए भलाई पसंद करना, सच्ची बात करना, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना, ग़रीबों को खाना खिलाना और रास्ते से तक्लीफ़ देह चीज़ों को हटाना वग़ैरा- ईमान में इज़ाफ़ा (वृद्धि) करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इनके न पाये जाने से ईमान भी मादूम और नापैद (विलुप्त तथा विनष्ट) हो जाता है, और ऐसा भी नहीं कि इनके पाये जाने से ईमान भी पाया जाये। बल्कि इस से इतना ही साबित होता है कि फ़ितरत सहीह है और इंसानियत -जिस पर इंसान पैदा किया गया है- बदली नहीं है, और वह हक़ क़बूल करने के बहुत ज़्यादा क़रीब है। जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया:

﴿فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَا﴾ [الروم: ٣٠]

''अल्लाह तआ़ला की वह फ़ित्रत जिस पर उस ने लोगों को पैदा किया है।'' {अर्रूमः ३०}

❁ **ईमान बढ़ता और घटता है,** नीज़ वह ज़ायेल (ख़त्म) भी हो जाता है। इताअ़त व फ़रमा बरदारी से ईमान बढ़ता है, और मा'सियत व नाफ़रमानी से घटता है, और कुफ़्र व शिर्क से उसका बिल्कुल ख़ातिमा हो जाता है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢]

''बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र आता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतें उन को पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो वह आयतें उनके ईमान को ज़्यादा कर देती हैं, और वह अपने रब पर तवक्कुल करते हैं।'' {अल्अन्फ़ालः २}

और एक दूसरी जगह इरशाद फ़रमायाः

﴿وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَٰنًا﴾ [المدثر: ٣١]

''और ईमानदार ईमान में बढ़ जायें।'' {अल्मुद्दस्सिरः ३१}

और एक मक़ाम पर फ़रमायाः

﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِيمَٰنًا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ﴾ [الفتح: ٤]

''वही है जिस ने मुसलमानों के दिलों में सुकून डाल दिया ताकि अपने ईमान के साथ ही साथ और भी ईमान में बढ़ जायें।'' {अल्फ़त्हः ४}

❁ कुफ़्र के बाद ईमान उसी वक़्त साबित होगा जब मुंदरजा ज़ैल (निम्नोक्त) चीज़ें पाई जायेंगीः

❁ ऐतिक़ाद यानी दिल का क़ौल और दिल का अ़मल। दिल के क़ौल का मतलबः रिसालत की तसदीक़ व पुष्टि करना। और दिल के अ़मल का मतलबः अल्लाह और उसके रसूल से महब्बत करना, और उन चीज़ों से भी महब्बत करना जिन से अल्लाह और उसके रसूल महब्बत करते हैं।

❁ इसके बाद ज़ुबान से इक़रार।

❁ फिर आ'ज़ा व जवारिह (अंग-प्रत्यंग) से अ़मल।

जिस ने अपने दिल से तसदीक़ किया और अपनी ज़ुबान से इक़रार कर सकने के बावुजूद इक़रार नहीं किया, वह मु'मिन नहीं है।

और जिस ने अपने दिल से तसदीक़ के साथ साथ अपनी ज़ुबान से इक़रार भी किया, लेकिन मुहम्मद ﷺ की लाई हुई शरीअ़त पर अ़मल कर सकने के बावुजूद भी उस पर अ़मल नहीं किया, तो वह भी मु'मिन नहीं है।

और जिस ने इक़रार करना या अ़मल करना चाहा लेकिन उस पर क़ादिर (सक्षम) न हो सका, तो अल्लाह तआ़ला उसके बारे में फ़रमाता है:

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]

"अल्लाह किसी जान को उसकी ताक़त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता।" {अल्बक़राः २८६}

और एक दूसरी जगह इरशाद फ़रमायाः

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ [الطلاق:٧]

"किसी शख़्स को अल्लाह तकलीफ़ नहीं देता मगर उतनी ही जितनी उसे दे रखी है।" {अत्तलाक़ः ७}

अगर मुस्लिम अपने ईमान -चाहे क़ौली हो या अ़मली या एतिक़ादी- को तोड़ देने वाली चीज़ों में से किसी एक में भी वाक़ेअ़ हो जाये तो उसका पूरा ईमान ही ख़त्म हो जायेगा। क्योंकि इन तीन चीज़ों -क़ौल व अ़मल और एतिक़ाद- के मजमूये (समष्टि) का नाम ईमान है। जैसे मग़रिब की तीन रकअ़तों के मजमूये का नाम मग़रिब है। अगर नमाज़ी उन में से किसी एक रकअ़त को बातिल कर देने वाला कोई अ़मल कर ले तो उसकी पूरी नमाज़ ही बातिल हो जायेगी, अगरचे वह बाक़ी रकअ़तों को बग़ैर किसी नाक़िज़ (तोड़ने वाले अ़मल) के सहीह तौर पर अदा किया हो।

और यह मसअला साबिक़ मसअला -(यानी कि) इताअ़त व फ़रमा बरदारी से ईमान बढ़ता है, और मा'सियत व नाफ़रमानी चाहे छोटी हो या बड़ी उस से

ईमान घटता है- के मुनाफ़ी (विपरीत तथा विरुद्ध) नहीं है। जैसाकि नमाज़ को बातिल करने वाले आमाल में से किसी एक के करने से पूरी नमाज़ का बातिल होना इस बात के मुनाफ़ी नहीं है कि नेक अ़मल -जैसे लंबा क़ियाम, ख़ुशू ख़ुज़ू और तिलावत- से उस में ज़्यादती होती है। और मना कर्दा चीज़ों -आसमान की तरफ़ ताकना और कुत्तों की तरह अपने बाहूँ को फैलाना वग़ैरा- से उस में कमी आती है, पर उसे बातिल नहीं करती है।

लिहाज़ा ईमान को कोई चीज़ तोड़ नहीं सकती मगर वही चीज़ जिसे अल्लाह और उसके रसूल तोड़ने वाली बनायें और बतायें। इसी तरह नमाज़ को कोई चीज़ बातिल नहीं कर सकती मगर जिसको अल्लाह और उसके रसूल बातिल करने वाली क़रार दें।

छठी झलकी
अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात

अल्लाह तआ़ला के बुलंद तरीन सिफ़ात (उच्चतम गुण तथा ख़ूबियाँ) और उसके बेहतरीन अस्मा (अति श्रेष्ठ नाम) हैं। और उसकी ज़ात के बारे में उस से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। इस लिए हम उस चीज़ की नफ़ी करेंगे (नकारेंगे) जिसकी उस ने अपने बारे में अपनी किताब (क़ुरआन) में या अपने नबी की सुन्नत (हदीस) में नफ़ी की है, और उस चीज़ को साबित करेंगे जिसको उस ने अपने लिए अपनी किताब में या अपने नबी की सुन्नत में साबित किया है।

हम उस से तमाम नाक़िस सिफ़तों (समस्त अपूर्ण गुणों) की नफ़ी तथा उसका इंकार करते हुये उसे इजमाली तौर पर (संक्षिप्त रूप से) बयान करेंगे। और उसके लिए तमाम कमाल वाले सिफ़तों (पूर्णता विशिष्ट गुर्णों) को साबित करेंगे और उनकी तफ़सील भी करेंगे, पर उनकी कैफ़ियत के बारे में सवाल नहीं करेंगे, उनकी तशबीह तथा तुलना नहीं करेंगे और उनकी मिसाल तथा उदाहरण पेश नहीं करेंगे।

जो व्यक्ति अल्लाह तआ़ला को तफ़सीली तौर पर (विस्तारित रूप से) कमी और ऐब की सिफ़त के साथ मुत्तसिफ़ (गुणान्वित) करे, तो हम भी उस से उसकी तफ़सीली तौर पर नफ़ी करेंगे, जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने अपनी ज़ात से बीवी और औलाद की नफ़ी की है। उसका फ़रमान है:

﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٌ﴾ [الأنعام: ١٠١]

"अल्लाह के औलाद कहाँ हो सकती है, हालाँकि उसकी बीवी ही नहीं।" {अल्अन्आ़मः १०१}

और एक दूसरी जगह इरशाद फ़रमायाः

﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ [الإخلاص: ٣]

"न उस से कोई पैदा हुआ और न वह किसी से पैदा हुआ।" {अल्इख़लासः ३}

और अल्लाह ने अपनी ज़ात से बुख़्ल की नफ़ी करते हुये फ़रमाया जिसे यहूद ने उसके लिए बयान किया था:

﴿وَقَالَتِ ٱلۡيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغۡلُولَةٌۚ غُلَّتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْۘ بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: ٦٤]

''और यहूदीयों ने कहा कि अल्लाह के हाथ बँधे हुये हैं, और उनके इस क़ौल की वजह से उन पर लानत की गई, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुये हैं।'' {अल्माइदाः ६४}

वह्य में जो भी कुछ आया है हम उसे हूबहू उसी तरह तसलीम कर लेते तथा मान लेते हैं, जैसे अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात से मुतअ़ल्लिक़ वारिद उमूर (नाम तथा गुण संबंधी आई हुई बातें): हम उनकी हक़ीक़त को साबित करते हैं, और उनके बाज़ आसार हासिल (कतिपय प्रभाव अर्जन) करते हैं, और इस पर कुछ इज़ाफ़ा (ज़्यादा) नहीं करते हैं। क्योंकि उसके मिस्ल कोई चीज़ नहीं। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]

''उस जैसी कोई चीज़ नहीं, वह सुनने और देखने वाला है।'' {अश्शूराः ११}

अल्लाह तआ़ला की सिफ़तों को किसी चीज़ पर क़ियास करना जायज़ नहीं है। क्योंकि क़ियास में अस्ल और फ़रअ़ (मूल तथा शाखा) का होना ज़रूरी है। और अल्लाह की ज़ात तो वह है जिसकी कोई मिसाल नहीं। अतः कोई ऐसी फ़रअ़ नहीं जो उसके क़रीब हो, और कोई ऐसी अस्ल नहीं जो उस से आ'ला और बुलंद हो। वह अकेला है, बेनियाज़ (अमुखापेक्षी) है, न उस से कोई पैदा हुआ, और न वह किसी से पैदा हुआ। और न उसका कोई हमसर (समकक्ष) है।

अल्लाह तआ़ला ने इंसान की अ़क़्लों को ऐसा आला बनाया है कि वह सुनी हुई चीज़ को देखी हुई चीज़ पर क़ियास करती है। पस वह अल्लाह की अपनी ज़ात के बारे में दी हुई ख़बर को सुन कर -जिसे उस ने पहले कभी नहीं देखा- उसे देखी हुई सब से क़रीब तरीन मिसाल पर क़ियास करने लगती है। पस हर अ़क्ल पहले से देखी हुई चीज़ के मुताबिक़ सिफ़तों का तसव्वुर करती है, और अपने मुशाहदा (अवलोकन) के अनुसार उनकी कैफ़ियत बयान करती है। हालाँकि किसी भी अ़क़्ल में अल्लाह की कोई मिसाल ही नहीं है।

अतः दिमाग़ में उभरी किसी बुरी मिसाल के कारण जिसकी हम नफ़ी करना चाहते हैं, अल्लाह तआ़ला के किसी नाम या सिफ़त की नफ़ी करके उसे बेमअ़ना (अर्थहीन) क़रार नहीं देंगे। क्योंकि जहाँ हम किसी बातिल क़ियास की नफ़ी में वाक़े‘ (पतित) हूँगे वहाँ किसी सहीह हदीस के इंकार में भी वाक़े‘ हो जायेंगे। इस लिए ऐसा न करके हम उस बुरे अर्थ की नफ़ी कर दें जो दिलों में घर कर गया है, और अल्लाह के लिए उन नामों और सिफ़तों को साबित करें जिन्हें ख़ुद उस ने अपने लिए बयान किया है, और फिर रुक जायें। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلۡمٗا ﴾ [طه: ١١٠]

‘‘जो कुछ उनके आगे पीछे है उसे अल्लाह ही जानता है, मख़लूक़ का इल्म उस पर हावी नहीं हो सकता।’’ {ताहाः ११०}

और एक दूसरी जगह इरशाद फ़रमायाः

﴿ لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَهُوَ يُدۡرِكُ ٱلۡأَبۡصَٰرَۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]

‘‘निगाहें उसको नहीं पा सकतीं जबकि वह निगाहों को पा लेता है, और वही बारीक बीं बाख़बर (सूक्षदर्शी ख़बर रखने वाला) है।’’ {अल्अन्आ़मः १०३}

और अल्लाह तआ़ला आसमान में अपने अ़र्श पर मुस्तवी है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿هُوَ ٱلۡأَوَّلُ وَٱلۡأٓخِرُ وَٱلظَّٰهِرُ وَٱلۡبَاطِنُۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٌ ٣ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۚ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَاۖ وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ﴾ [الحديد: ٣ - ٤]

‘‘वही अव्वल है वही आख़िर है, वही ज़ाहिर है वही बातिन है, और वह हर चीज़ को अच्छी तरह जानने वाला है। वही है जिस ने आसमानों और ज़मीन को छ दिन में पैदा किया, फिर अ़र्श पर मुस्तवी हो गया। वह जानता है उस चीज़ को जो ज़मीन में जाये और जो उस से निकले, और जो आसमान से नीचे आये और जो कुछ चढ़ कर उस में जाये, और जहाँ कहीं तुम हो वह तुम्हारे साथ है, और जो तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहा है।’’ {अल्हदीदः ३-४}

मज़कूरा आयत में अल्लाह तआ़ला ने अपनी ज़ात के साथ अ़र्श पर मुस्तवी होने और हर चीज़ के बारे में अपने इल्म को साबित किया, और अपने बंदों के साथ रहने की ख़बर दी। पस वह अपने इल्म व ज्ञान और सुनने तथा देखने के ज़रीया उनके साथ है। जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَهُوَ مَعَكُمۡ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡ﴾ [الحديد: ٤]

''और जहाँ कहीं तुम हो वह तुम्हारे साथ है।'' {अल्हदीदः ४}

और ऐसे ही अपनी नुसरत व मदद, ताईद व समर्थन तथा हिफ़ाज़त व सूरक्षा के ज़रीया अपने वलीयों के साथ होता है। जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने मूसा ﷺ और हारून ﷺ से फ़रमायाः

﴿قَالَ لَا تَخَافَآۖ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ﴾ [طه: ٤٦]

''कहाः तुम दोनों ख़ौफ़ न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुनता और देखता रहूँगा।'' {ताहाः ४६}

अल्लाह तआ़ला की मशीअत कामिल (इच्छा पूर्ण) है जो हर चीज़ को शामिल (वेष्टित) है। अतः वह जो चाहे वही होता है और जो न चाहे वह नहीं होता है। हम उसे वैसे ही साबित करेंगे जैसे उस ने अपनी ज़ात के लिए साबित किया है। इस से बढ़ कर ज़्यादा मग़्ज़ मारी नहीं करेंगे जैसे अ़क़्ल के पूजारी लोग नामुमकिन को मुमकिन बनाने और दो मुतनाक़िज़ के दरमियान जमा (दो परस्पर विरोधी को इकट्ठा) करने इत्यादि के चक्कर में मग़्ज़ मारी करते है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفۡعَلُ مَا يَشَآءُ﴾ [آل عمران: ٤٠]

''फ़रमाया इसी तरह अल्लाह जो चाहे करता है।''

और एक दूसरी जगह इरशाद फ़रमायाः

﴿وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: ٢٥٣]

''और लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है।'' {अल्बक़राः २५३}

और एक दूसरे मक़ाम पर फ़रमायाः

﴿ذُو ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡمَجِيدُ ١٥ فَعَّالٞ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: ١٥ - ١٦]

''अ़र्श का मालिक अ़ज़मत वाला है। जो चाहे उसे कर गुज़रने वाला है।''
{अल्बुरूजः १५-१६}

हम अल्लाह तआ़ला के लिए वही साबित करेंगे जो क़ुरआन और हदीस से साबित हुआ है, और उसके अ़लावा जो भी चीज़ है उस से रुक जायेंगे। और अ़क़्ल जिन चीज़ों को नक़्स और कमी की सिफ़त क़रार दे -जैसे हुज़्न व ग़म, रोना और भूक इत्यादि- हम उसे अल्लाह की ज़ात से नफ़ी करेंगे, अगरचे वह्य के ज़रीया उसकी निशानदिही न की गई हो।

सातवीं झलकी
कुरआन अल्लाह का कलाम है

कुरआन अल्लाह का कलाम तथा उसकी वाणी है। उस ने उसके हुरूफ़ (अक्षरों), आयतों और सूरतों के साथ हक़ीक़त में बात की है। हम यह नहीं कहेंगे कि वह किसी मा'ना की इबारत है और न ही उसकी हिकायत है (यानी हम यह नहीं कहेंगे कि कुरआन के ज़रीया सिर्फ़ उसका अर्थ मुराद लिया गया है और न ही कलिमे के ज़रीये उसका विवरण किया गया है।) बल्कि हम कहेंगे कि वह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ हमेशा कलाम करने वाला है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया:

﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤]

''और मूसा से अल्लाह ने सीधे बात की'' {अन्निसाः १६४} और एक मक़ाम पर फ़रमाया:

﴿وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ﴾ [الأعراف: ١٤٣]

''और जब मूसा हमारे मुक़र्रर कर्दा वक़्त पर आये और उनके रब ने उन से कलाम किया।'' {अल्आ'राफ़ः १४३}

और अल्लाह का कलाम ही उसका क़ौल (कथन) है। जैसाकि उसका फ़रमान है:

﴿وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ﴾ [الأحزاب: ٤]

''अल्लाह हक़ बात फ़रमाता है।'' {अल्अह्ज़ाबः ४}

अल्लाह तआ़ला का कलाम वह है जो सीने में महफ़ूज़ है। उसका फ़रमान है:

﴿بَلۡ هُوَ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٞ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ﴾ [العنكبوت: ٤٩]

''बल्कि यह (कुरआन) तो रोशन आयतें हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफ़ूज़ हैं।'' {अल्अ़नकबूतः ४९}

अल्लाह का कलाम वह है जो कानों से सुने जाते हैं। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٦]

''अगर मुशरिकों में से कोई तुझ से पनाह तलब करे तो तू उसे पनाह दे दे यहाँ तक कि वह अल्लाह के कलाम को सुन ले।'' {अत्तौबाः ६}

रसूलुल्लाह ﷺ क़ुरआन के मुबल्लिग़ तथा प्रचारक थे, लेकिन इसके बावुजूद यह उसे अल्लाह के कलाम होने से ख़ारिज नहीं करता है।

अल्लाह का कलाम वह है जो सत्रों में लिखा है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَكِتَٰبٍ مَّسْطُورٍ ۝٢ فِى رَقٍّ مَّنشُورٍ﴾ [الطور: ٢ - ٣]

''क़सम है लिखी हुई किताब की जो झिल्ली के खुले हुये वरक़ में है।'' {अत्तूरः २-३}

और अल्लाह ने क़ुरआन को अपने पास लौहे महफ़ूज़ में महफ़ूज़ कर रखा है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ ۝٢١ فِى لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [البروج: ٢١ - ٢٢]

''बल्कि यह क़ुरआन है ही बड़ी शान वाला, लौहे महफ़ूज़ में (लिखा हुआ)।'' {अल्बुरूजः २१-२२}

और एक दूसरी जगह इरशाद फ़रमायाः

﴿وَإِنَّهُۥ فِىٓ أُمِّ ٱلْكِتَٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيمٌ﴾ [الزخرف: ٤]

''यक़ीनन यह लौहे महफ़ूज़ में है और हमारे नज़दीक बुलंद मरतबा हिक्मत वाली है।'' {अज़्ज़ुख़रुफ़ः ४}

काग़ज़ के सतरों में लिखे होने का मतलब यह नहीं है कि वह उसे अल्लाह के कलाम होने से ख़ारिज कर देता है। पस काग़ज़ मख़लूक़ है, और इसी तरह रोशनाई भी मख़लूक़ है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَٰبًا فِى قِرْطَاسٍ﴾ [الأنعام: ٧]

''और अगर हम काग़ज़ पर लिखी हुई किताब भी आप पर उतारते।'' {अल्अन्आ़मः ७}

अल्लाह तआ़ला ने किताब को एक चीज़ बताया और काग़ज़ को एक दूसरी चीज़ बताया।

और यह क़ुरआन अगरचे ऐसे क़लम और रोशनाई से लिखा गया है जो कि मख़लूक़ हैं, फिर भी वह अल्लाह का कलाम है, इस बात को साबित करते हुये अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَٰمٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِ﴾ [لقمان: ٢٧]

''और सारी धरती के पेड़ों की अगर क़लमें हो जायें और सारे समुद्रों की स्याही हो, और उनके बाद सात समुद्र दूसरे हों फिर भी अल्लाह के कलिमात ख़त्म नहीं हो सकते।'' {लुक़मानः २७}

और एक दूसरे मक़ाम पर इरशाद फ़रमायाः

﴿قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩]

''कह दीजिये कि अगर मेरे रब की बातों को लिखने के लिए समुद्र स्याही बन जाये वह भी मेरे रब की बातों के ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जायेगा, चाहे हम उसी जैसा दूसरा भी उसकी मदद के लिए ले आयें।'' {अल्कह्फ़ः १०९}

चुनांचि क़लम ने जो लिखा है और जो नहीं लिखा वह सब के सब बिना किसी फ़र्क के अल्लाह का कलाम है।

और जिस ने यह कहा कि अल्लाह का कलाम मख़लूक़ है तो उस ने कुफ़्र किया। क्योंकि अल्लाह का कलाम उसकी सिफ़तों में से एक सिफ़त है, और उस ने अपनी मख़लूक़ तथा अपने कलाम के दरमियान फ़र्क़ किया है। जैसाकि उसका फ़रमान हैः

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤]

''बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिस ने आसमानों और ज़मीन को छ दिन में बनाया, और फिर अ़र्श पर मुस्तवी हो गया। वह रात को दिन से ऐसे छुपा देता है कि वह उसे तेज़ चाल से आ लेती है, और सूरज व चाँद और सितारे को ताबे' किया कि वे उसके मातहत हैं, सुन लो उसी की तख़लीक़ (सृष्टि) और उसी का अम्र (हुक्म) है, सारे जहाँ का रब बहुत मुबारक है।'' {अल्आ'राफ़: ५४}

पस इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने अपनी मख़लूक़ात यानी आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद और सितारे तथा अपने अम्र यानी अपने कलाम -जिसके ज़रीया तमाम मख़लूक़ात को पैदा फ़रमाया- के दरमियान फ़र्क़ किया है। और यही मतलब है आयत के इस टुकड़े का ﴿مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمۡرِهِۦٓ﴾

अल्लाह तआ़ला ने दोनों होंट, ज़ुबान, हलक़, लुआ़ब और उनकी हरकत पैदा करके क़ारीयों (तिलावत करने वालों) की आवाज़ों को पैदा फ़रमाया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सुनी जाने वाली चीज़ अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया:

﴿وَقَدۡ كَانَ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ يَسۡمَعُونَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ﴾ [البقرة: ٧٥]

''उन में ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह का कलाम सुनते हैं।'' {अल्बक़रा: ७५}

आयत में मज़कूर 'सुनी जाने वाली चीज़' अल्लाह का कलाम है अगरचे क़ारी उसका तलफ़्फ़ुज़ (उच्चारण) करे, जैसाकि बाज़ उलमा ने कहा:

الصَّوْتُ صَوْتُ الْقَارِي، وَالْكَلَامُ كَلَامُ الْبَارِي.

यानी आवाज़ क़ारी की आवाज़ है, और कलाम बारी (स्रष्टा) का कलाम है।

आठवीं झलकी
अ़क़्ल और नक़्ल (विवेक तथा वह्य)

अ़क़्ल और नक़्ल के इजतिमा‘ (सम्मिलन) से शरई हक़ीक़त (शरीअ़त की वास्तविकता) का पता चलता है। अतः अ़क़्ल से महरूम शख़्स (वंचित व्यक्ति) नक़्ल से मुस्तफ़ीद (उपकृत) नहीं हो सकता, और नक़्ल से महरूम शख़्स अ़क़्ल से फ़ायदा नहीं उठा सकता। और दोनों में से किसी एक में कमी होने की सूरत में हक़ की मा‘रिफ़त तथा उसे पहचानने में भी कमी होगी। और अगर दोनों में बज़ाहिर तआ़रुज़ (प्रकाश्य रूप से परस्पर विरोधी हों) तो अ़क़्ल पर नक़्ल को मुक़द्दम किया जायेगा। क्योंकि नक़्ल कामिल ख़ालिक़ का इल्म है और अ़क़्ल नाक़िस मख़लूक़ का इल्म है।

अ़क़्ल निगाह की तरह है, और नक़्ल नूर की तरह है। घोर अंधकार में ज्योति के बिना दृष्टिवान अपनी दृष्टि (गहरी तारीकी में नूर के बग़ैर आँख वाला अपनी आँख) से फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसी तरह वह्य के बिना आ़क़िल अपनी अ़क़्ल (विवेकवान अपनी विवेक) से फ़ायदा नहीं उठा सकता। रोशनी की मिक़्दार के बराबर आँख को दिशा मिलती है, और वह्य की मिक़्दार के बराबर अ़क़्ल को हिदायत मिलती है। और अ़क़्ल व नक़्ल दोनों की तकमील तथा पूर्णता से उसी तरह हिदायत व बसीरत (मार्ग दर्शन तथा दूरदर्शिता) पूरी होती है, जिस तरह दोपहर के वक़्त हर चीज़ पूरे तौर पर स्पष्ट नज़र आती है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿أَوَمَن كَانَ مَيۡتٗا فَأَحۡيَيۡنَٰهُ وَجَعَلۡنَا لَهُۥ نُورٗا يَمۡشِي بِهِۦ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ﴾ [الأنعام: ١٢٢]

“ऐसा शख़्स जो पहले मुर्दा था फिर हम ने उसको ज़िंदा कर दिया, और हम ने उसको एक ऐसा नूर दे दिया कि वह उसको लिये हुये आदमीयों में चलता फिरता है, क्या ऐसा शख़्स उसकी तरह हो सकता है जो अंधेरों से निकल ही नहीं पाता।” {अल्अन्आ़मः १२२}

अ़क़्लमंद दुनिया में अपनी अ़क़्ल से मुस्तफ़ीद (उपकृत) होता है। इसी तरह उसका अनुभव करके उड़ने वाले परिंदे और चलने वाले जानवर भी मुस्तफ़ीद होते हैं। पस वह कूच करके कुछ वक़्त के लिए उतरते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मुतआ़रफ़ (परिचित) होते हैं, अपने ठिकाने की रहनुमाई हासिल करते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं और अपने दुशमनों को पहचान लेते हैं।

लेकिन इंसान अपनी अ़क़्ल से -विस्तारित रूप से- अपने रब की तरफ़ रास्ता पा ही नहीं सकता मगर उस वह्य के ज़रीये से जो उसके नबी पर नाज़िल किया गया है। अतः वह इसके बग़ैर तारीकी तथा अंधकार में होगा। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: ٢٥٧]

“ईमान लाने वालों का वली अल्लाह ख़ुद है, वह उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ़ निकाल ले जाता है, और काफ़िरों के औलिया शैतान लोग हैं, वह उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ़ ले जाते हैं।” {अलबक़राः २५७}

अल्लाह तआ़ला ने इस आयत में फ़रमायाः ﴿يُخْرِجُهُم﴾ यानी वह उन्हें निकालता है, इस लिए कि ईमान वाले अल्लाह के बिना तारीकी में दाख़िल हैं।

रोशनी एक होती है अगरचे उसकी क़िस्में मुख़्तलिफ़ हैं जैसे नूर और नार (आग)। ठीक इसी तरह वह्य एक है, अगरचे उसकी क़िस्में मुख़्तलिफ़ हैं जैसे क़ुरआान व हदीस। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩]

“ऐ ईमान वालो! फ़रमा बरदारी करो अल्लाह की और फ़रमा बरदारी करो रसूल की।” {अन्निसाः ५९}

जिस ने यह दावा किया कि वह वह्य के बिना केवल अपनी अ़क़्ल के ज़रीया अल्लाह की तरफ़ हिदायत और मार्ग पा सकता है, तो वह उस शख़्स की तरह है जो कहे कि वह बिना रोशनी के सिर्फ़ अपनी निगाह से अपने रास्ते की दिशा पा सकता है। और दोनों के दोनों एक अकाट्य तथा निश्चित विषय (क़तई और ज़रूरी चीज़) के मुंकिर हैं। अतः पहला दीन द्रोही (बिला दीन के) है और दूसरा दुनिया द्रोही (बिला दुनिया के) है।

अल्लाह तआ़ला ने अपनी वह्य को नूर का नाम दिया है जिस से तमाम मख़लूक़ हिदायत याफ़्ता (मार्ग प्राप्त) होती है। जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾

[الأعراف: ١٥٧]

"पस जो लोग उस नबी पर ईमान लाते हैं और उसकी ताईद करते हैं और उसकी मदद करते हैं और उस नूर की इत्तिबा करते हैं जो उनके साथ भेजा गया है, ऐसे लोग पूरी कामयाबी हासिल करने वाले हैं।" {अल्आ'राफ़: १५७} पस वह नूर यानी वह्य ही है जो नबीयों को और उनके मानने वालों को हिदायत देती है।

अल्लाह तआ़ला ने जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया तथा जिन चीज़ों के करने से मना फ़रमाया है हम उन्हें तसलीम करते और मानते हैं, और जिन चीज़ों की ख़बर दी है हम उनकी तसदीक़ (पुष्टि) करते हैं। अगर हम उनकी इल्लत व हिक्मत (कारण तथा रहस्य) जान पायें तो उन पर ईमान लाते हैं, और अगर न जान पायें तो भी उन पर ईमान लाते हैं और अपने आप को उसके सुपुर्द कर देते हैं।

कोई ज़रूरी नहीं कि हर अ़क़्ल हर मा'क़ूल का इदराक कर ले (यानी अ़क़्ल के ज़रीया उपलब्ध की जाने वाली चीज़ को उपलब्ध कर ले)। तो फिर जिस चीज़ का उपलब्ध करना अ़क़्ल के दाइरे से बाहर है तो उसके बारे में क्यों कर कहा और चाहा जा सकता है कि तमाम अ़क़्ल उस पर मुत्तफ़िक़ तथा एक हो जाये?!

जो व्यक्ति यह कहे कि मैं अल्लाह के अहकामात में से केवल उन्हीं अहकाम पर ईमान लाऊँगा जो मा'क़ूल हैं (यानी अ़क़्ल जिनका इदराक व उपलब्ध कर पाती हैं), और जो मा'क़ूल नहीं हैं उन पर ईमान नहीं लाऊँगा, तो वह अ़क़्ल को नक़्ल पर मुक़द्दम करने वाला है। क्योंकि अ़क़्ल का इदराक व इहाता तथा उपलब्ध व आयत्व न कर पाने का यह मतलब नहीं है कि उसका वुजूद नहीं है। लेकिन यह कहा जायेगा कि अ़क़्ल उसके इदराक करने से क़ासिर (असमर्थ) है। क्योंकि अ़क़्ल की एक सीमा और हद है जहाँ पहुँच कर उसकी पहुँच और दौड़

ख़त्म हो जाती है, जैसे आँख की सीमा है कि वह वहीं तक देख सकती है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि उस सीमा के बाद और किसी चीज़ का वुजूद नहीं। इसी तरह कान की एक हद है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसके बाद कोई सुनी जाने वाली चीज़ नहीं। क्या देखते नहीं कि च्योंटी की आवाज़ है पर वह सुनी नहीं जाती। इसी तरह दुनिया में फ़ज़ा, कवाकिब व सितारे (महाशून्य, ग्रह-उपग्रह और नक्षत्र) हैं जो दृश्यमान नहीं (देखे नहीं जाते)।

नवीं झलकी
शरीअ़त साज़ी (विधान प्रवर्तन)

शरीअ़त सिर्फ़ अल्लाह ही की है, वह अपने इल्म व हिक्मत के अनुसार जो चाहे हलाल करे और जो चाहे हराम करे। उसकी शरीअ़त साज़ी में दीन व दुनिया की भलाई पोशीदा है। उसका हुक्म और नह्य मुकल्लफ़ीन से किसी ज़मान या मकान (उसका आदेश निषेध भार अर्पितों से किसी काल या स्थान) में उसकी इजाज़त के बग़ैर रहित (ख़त्म) नहीं हो सकता।

हम अल्लाह की नाज़िल कर्दा शरीअ़तों में दीनी अह्कामात -जैसे नमाज़, रोज़ा, हज्ज, ज़िक्र और मसजिदें आबाद करना वग़ैरा- और दुनियावी अह्कामात -जैसे ख़रीद व फ़रोख़्त, शादी ब्याह, तलाक़ और मीरास आदि- के दरमियान फ़र्क़ नहीं करेंगे, क्योंकि यह सब के सब तकालीफ़ यानी अल्लाह का हुक्म है।

चुनांचि जो शख़्स इन दोनों के दरमियान फ़र्क़ करते हुये दीनी अह्कामात को अल्लाह के लिए मुक़र्रर (निर्धारण) करे और दुनियावी अह्कामात अल्लाह के अ़लावा दूसरों के लिए करे, तो वह काफ़िर हो जायेगा। क्योंकि शरीअ़त सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है। पस जिस ने उस में दूसरों का हक़ ठहराया, वह उस शख़्स की तरह है जिस ने सज्दे को ग़ैरुल्लाह के लिए रवा (जायज़) क़रार दिया। हालाँकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۚ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ﴾ [يوسف: ٤٠]

''फ़रमा रवाई सिर्फ़ अल्लाह ही की है, उसका फ़रमान है कि तुम सब सिवाय उसके किसी और की इबादत न करो।'' {यूसुफ़ः ४०}

और बनी इसराईल ने इसी तरह का कुफ़्र किया था। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١]

''उन लोगों ने अल्लाह को छोड़ कर अपने आ़लिमों और दरवेशों को रब बनाया है और मरयम के बेटे मसीह को भी, हालाँकि उन्हें सिर्फ़ एक अल्लाह ही की इबादत का हुक्म दिया गया था, जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वह पाक है उनके शरीक मुक़र्रर करने से।'' {अत्तौबाः ३१}

अल्लाह ने उनके फ़े'ल (कर्म) को शिर्क का नाम दिया।

अल्लाह तआ़ला ने अपनी किताब नाज़िल फ़रमाई, और शरीअ़त बनाई (विधान प्रवर्तन किया और संविधान तैयार किया)। और वह आइंदा आने वाली हालतों को भी जानता है और गुज़रे हुये हादिसों से भी बाख़बर है। इसी तरह वह मौजूदा ज़माने को भी और नुज़ूले शरीअ़त के ज़माने को भी बराबर सराबर जानता और देखता है।

किसी हादिसे से उसका इल्म घटता नहीं है, इस लिए भी नहीं कि वह गुज़श्ता ज़माने में हुआ है, और इस लिए भी नहीं कि वह आने वाले वक़्त में होने वाला है। और ऐसा भी नहीं कि उसका इल्म किसी हादिसे से बढ़ जाता है, इस लिए कि वह वर्तमान काल में हो रहा है। सारांश (ख़ुलासा) यह है कि उसके नज़दीक गुज़श्ता व आइंदा और हाज़िर व ग़ाइब सब बराबर हैं।

जो व्यक्ति यह ख़्याल करे कि अल्लाह का हुक्म सिर्फ़ उस वक़्त के लिए मौज़ूँ और मुनासिब (योग्य तथा उपयुक्त) था जिस में वह्य नाज़िल हुई थी। और बाक़ी वक़्तों में लोगों को अधिकार है कि वह ऐसा क़ानून बनाये तथा संविधान रचना करें जो वह मुनासिब समझें, अगरचे वह अल्लाह के हुक्म के मुख़ालिफ़ और विरोधी ही क्यों न हो, तो यह कुफ़्र है। क्योंकि उसका अ़क़ीदा है कि हाज़िर और ग़ायब के इल्म में जिस तरह इंसान का नज़रिया मुख़्तलिफ़ होता है, इसी तरह अल्लाह के साथ भी होता है। इस प्रकार इंसान अपने हाज़िर के इल्म (वर्तमान के ज्ञान) को अल्लाह के वह्य नाज़िल करते समय उसके ग़ाइब के बारे में इल्म पर मुक़द्दम (प्राधान्य) करता है। और यह कुफ़्र व शिर्क है। हालाँकि अल्लाह का इल्म हाज़िर और ग़ाइब दोनों के बारे में बराबर है। जैसाकि उसका फ़रमान है:

﴿ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٢]

''वह ग़ाइब व हाज़िर का जानने वाला है, और जो शिर्क यह करते हैं उस से बाला तर है।'' {अल्मु'मिनूनः ९२}

और हाज़िर के बारे में अल्लाह का हुक्म ग़ैब के बारे में उसके हुक्म की तरह है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ عَٰلِمَ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ أَنتَ تَحۡكُمُ بَيۡنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ﴾ [الزمر: ٤٦]

''आप कह दीजीये कि ऐ अल्लाह! आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले! छुपे खुले के जानने वाले! तू ही अपने बंदों में उन उमूर का फ़ैसला फ़रमायेगा जिन में वह उलझ रहे थे।'' {अज़्ज़ुमरः ४६} अल्लाह अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला फ़रमाता है चाहे वह हाज़िर हूँ या ग़ाइब।

जो व्यक्ति दीन के हुक्म को दुनिया के हुक्म से अलग करते हुये अल्लाह को दीन का क़ानून साज़ और इंसान को दुनिया का क़ानून साज़ मुक़र्रर करता है, तो उस ने दो अलग अलग क़ानून साज़ निर्धारण कर लिये, -जैसाकि आज़ाद ख़्याल लोगों का हाल है- हालाँकि क़ानून साज़ी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही की मिल्कियत और अधिकार है। अल्लाह तआ़ला ने ऐसों के बारे में फ़रमायाः

﴿أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖ﴾ [البقرة: ٨٥]

''क्या बाज़ अहकाम पर ईमान रखते हो और बाज़ के साथ कुफ़्र करते हो।'' {अल्बक़राः ८५} पस जिस ने किताब के बाज़ के साथ कुफ़्र किया उस ने उसके कुल (पूरे) के साथ कुफ़्र किया।

अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल ﷺ पर जो किताब व हिक्मत यानी क़ुरआन व सुन्नत नाज़िल की है उसी के मुताबिक़ लोगों के दरमियान फ़ैसला करने का हुक्म दिया है। उसका फ़रमान हैः

﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَ﴾ [المائدة: ٤٩]

''आप उनके मुआ़मलात (झगड़े और इख़्तिलाफ़ात) में अल्लाह की नाज़िल कर्दा वह्य के मुताबिक़ ही फ़ैसला कीजिये, और उनकी ख़ाहिशों की ताबेदारी न कीजीये और उन से होशियार रहिये कि कहीं वह आपको अल्लाह के उतारे हुये किसी हुक्म से इधर उधर न करें।'' {अल्माइदाः ४९}

वह्ये इलाही जिस चीज़ की तफ़सील से ख़ामूश हो उस में मुजतहिदों के लिए

तफ़सील की इजाज़त है, इस शर्त के साथ कि वह अल्लाह के किसी साबित शुदा हुक्म से न टकराता हो।

अल्लाह के हुक्म के मुनाफ़ी (विरोधी) लोगों के किसी फ़ैसले और उनके अख़्तियार व निर्वाचन को मुक़द्दम नहीं किया जायेगा यानी उन्हें प्रधानता नहीं दी जायेगी। क्योंकि अगर क़बीलों के हुक्म को मुक़द्दम किया जाता, तो तमाम अम्बिया हक़ से ख़ारिज होते, इस लिए कि वह ऐसी क़ौमों के दरमियान पले बढ़े जो बातिल पर एकट्ठी थीं, या उनकी अकसरीयत (अधिकांश) बातिल पर थी।

सलफ़े सालिहीन के उलमा में से चंद उलमा ने अल्लाह तआ़ला के हुक्म की ता'ज़ीम करते हुये और उसको तसलीम तथा मानने की ग़र्ज़ से बाज़ फ़ुरूई मसाइल को भी अ़क़ीदे की किताबों में ज़िक्र फ़रमाया है। इस लिए कि कुछ गुमराह फ़िर्क़ों ने उन मसाइल के साबित होने के बावुजूद उन्हें -जैसे मोज़ों पर मसह करना, सफ़र में नमाज़ क़सर करके पढ़ना और अच्छे तथा बुरे इमाम (शासक) के साथ जिहाद करना- इंकार किया है। और यह मसाइल ऐसे हैं कि हर दौर में ख़ाहिशात और नफ़्स परस्ती की नई नई शक्लें वुजूद में आने से यह भी नया रुख़ लेते हैं।

चुनांचि हम तसलीम करते हैं कि औ़रतों का पर्दा करना आ़दत (प्रथा) नहीं इबादत है। और मर्द व औ़रतों का -नागहानी को छोड़ कर- बाहम इख़्तिलात (-सहसा के अतिरिक्त- परस्पर संमिश्रण) हराम है। और मुसलमानों के ख़िलाफ़ काफ़िरों से दोस्ती क़ायम करना सही नहीं है। और मीरास में बेटी का हिस्सा बेटे का आधा है। और मर्द के मुक़ाबिले में औ़रत की दियत आधी है, क्योंकि दियत जान और नफ़्स की क़ीमत नहीं कि दोनों में बराबरी रखी जाये। इस लिए कि अगर मर्दों की एक जमाअ़त जान बूझ कर किसी एक औ़रत को क़त्ल कर दे, तो उसके क़िसास में क़त्ल करने वाली पूरी जमाअ़त को क़त्ल किया जायेगा। बल्कि हक़ीक़त में दियत वारिस के लिए जब्र और ता'वीज़ (क्षतिपूरण) है, मक़तूल (हंता) की क़ीमत नहीं है। और हम यह भी तसलीम करते हैं कि शादी शुदा ज़ानी को रजम करना अल्लाह की हदों में से एक हद है (और हम यह भी मानते हैं कि विवाहित व्याभिचारी को संगसार करना अल्लाह की दंडविधियों में से एक दंडविधि है)।

दसवीं झलकी
तक़दीर तथा भाग्य

अल्लाह तआ़ला ने मख़लूक़ को पैदा करने से पहले ही उसकी तक़दीरों को मुक़र्रर (निर्धारण) कर दिया है। और हर मख़लूक़ उसकी ईजाद से पहले की मुक़र्ररा (निर्धारित) तक़दीर के मुताबिक़ पैदा की गई है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيۡءٖ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗا﴾ [الفرقان: ٢]

''और हर चीज़ को उस ने पैदा करके एक मुनासिब अंदाज़ा ठहरा दिया है।'' {अल्फ़ुरक़ानः २}

और एक दूसरी जगह इरशाद फ़रमायाः

﴿إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٖ﴾ [القمر: ٤٩]

''बेशक हम ने हर चीज़ को एक (मुक़र्ररा) अंदाज़े पर पैदा किया है।'' {अल्क़मरः ४९}

एक और मक़ाम पर फ़रमायाः

﴿وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ قَدَرٗا مَّقۡدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨]

''और अल्लाह के काम अंदाज़े पर मुक़र्रर किये हुये हैं।'' {अल्अह्ज़ाबः ३८}

अल्लाह तआ़ला ने अच्छी और बुरी दोनों तक़दीर मुक़र्रर फ़रमाया है। उ़मर बिन ख़त्ताब ﷺ से मर्वी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» [رواه مسلم: ٨]

''और अच्छी तथा बुरी तक़दीर पर ईमान रखना।'' {मुस्लिमः ८}

तक़दीर के लिए अल्लाह का इल्म लाज़िम और ज़रूरी है। क्योंकि तक़दीरों

को मुक़र्रर (भाग्य निर्धारण) नहीं कर सकता मगर वही जो उन्हें जानता है, और उनकी तफ़ासील (विस्तार-विवरण), उनकी बारीकीयों, उनकी जगहों, उनकी गरदिशों और उनके शुरू तथा आख़िर को वही जान सकता है जिस ने उन्हें पैदा किया है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]

''ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर (क्षमतावान), और यक़ीनन अल्लाह ने हर चीज़ को अपने इल्म में घेर रखा है।'' {अत्तलाक़ः १२}

और एक दूसरी जगह इरशाद फ़रमायाः

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤]

''क्या वह नहीं जानता जिस ने पैदा किया है? हालाँकि वह बड़ा बारीक बीं (सूक्षदर्शी) बाख़बर है।'' {अल्मुल्कः १४}

और जिस ने अल्लाह की तक़दीर (उसके भाग्य निर्धारण करने) का इंकार किया उस ने उसके इल्म का इंकार किया, और जिस ने उसके इल्म का इंकार किया उस ने उसकी तक़दीर का इंकार किया।

और मख़लूक़ की तक़दीरें अल्लाह के पास एक किताब में लिखी हुई हैं। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَٰبِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨]

''हम ने दफ़्तर में कोई चीज़ नहीं छोड़ी।'' {अल्अन्आ़मः ३८}

और एक दूसरे मक़ाम पर फ़रमायाः

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِيٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: ١٢]

''और हम ने हर चीज़ को एक वाज़ेह किताब में ज़ब्त कर रखा है।'' {यासीनः १२}

अल्लाह की मख़लूक़ात की दो किस्में हैं:

- ऐसी ताबे‘ मख़लूक़ (आधीन सृष्टि) जिसका कोई अख़्तियार नहीं जैसे कवाकिब और अफ़लाक (ग्रह तथा कक्ष)।

❁ ऐसी मख़लूक़ जिसका इरादा और अख़्तियार है, जैसे इंसान व जिन्नात और फ़रिश्ते। अल्लाह तआ़ला ने उनको बे अख़्तियार नहीं बनाया कि वह उनको उसकी मा'सियत और नाफ़रमानी पर मजबूर तथा वाध्य करे, फिर वह उस पर उनको अ़ज़ाब दे। और ऐसा भी नहीं कि अल्लाह ने उनको अपनी इच्छा के बग़ैर पूरा अख़्तियार और आज़ादी दे दी है कि वह (मख़लूक़) फ़े'ल और इरादा (कर्म तथा इच्छा) में उसका शरीक व साझी बन जायें। बल्कि अल्लाह ने उनके लिए मशीअत और इच्छा बनाया है, मगर उनकी इच्छा को अपनी इच्छा के ताबे' कर दिया है। जैसाकि उसका फ़रमान है:

﴿إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرٞ لِّلۡعَٰلَمِينَ ٢٧ لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ ٢٨ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٨ - ٢٩]

"यह तो तमाम जहान वालों के लिए नसीहत नामा है, उस शख़्स के लिए जो तुम में से सीधी राह पर चलना चाहे। और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो रब्बुल आ़लमीन चाहे।" {अत्तकवीरः २७-२९}

अल्लाह तआ़ला ने बंदों को भी और उनके करतूतों को भी पैदा किया है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿قَالَ أَتَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ ٩٥ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٥ - ٩٦]

"तो आप ने फ़रमायाः तुम उन्हें पूजते हो जिन्हें ख़ुद तुम तराशते हो, हालाँकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीज़ों को अल्लाह ही ने पैदा किया है।" {अस्साफ़्फ़ातः ९५-९६}

अल्लाह तआ़ला ने अस्बाब पैदा करके उन्हें बतौरे सबब अनुमोदन किया है, जैसाकि उस ने अस्बाब के मुसब्बबात (फलाफल / नतीजे) को भी पैदा फ़रमाया है। और कायनात को एक निज़ाम और सिस्टम (नियम तथा शृंखला) के तहत चलाने के लिए यही है उसके कुशादा इल्म और अ़ज़ीम हिक्मत का तक़ाज़ा।

तक़दीरे इलाही की हक़ीक़तों और हिक्मतों को न समझ पाने के कारण अ़क़्ल तथा विवेक का तक़दीर पर ईमान लाने से रुक जाना जायज़ नहीं है। क्योंकि बहुत सी हिक्मतें ऐसी हैं जो अ़क़्ल के दायरे से बाहर हैं। पस अ़क़्ल बर्तन

की तरह है, और बा'ज़ हिक्मतें समंदर के पानी की तरह हैं जिन्हें अ़क़्ल अपने अंदर समू नहीं सकती। और अगर वह (हिक्मतें) अ़क़्ल पर डाल भी दी जायें तो उसे डुबो देंगी और हैरान व परीशान कर देंगी।

और बा'ज़ हिक्मतें ऐसी हैं कि उन में देर तक ग़ौर करने से हैरत में इज़ाफ़ा के अ़लावा और कुछ नहीं होता, जैसे दोपहर के वक़्त सूरज की तरफ़ देर तक देखते रहने से निगाहों को दर्द और हैरत के अ़लावा कुछ हासिल नहीं होता।

ग्यारहवीं झलकी
मौत तथा उसके बाद होने वाली चीज़ें

मौत हक़ तथा सत्य है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٦ - ٢٧]

''ज़मीन पर जो हैं सब फ़ना होने वाले हैं। सिर्फ़ तेरे रब की ज़ात जो अ़ज़मत और इ़ज़्ज़त वाली है बाक़ी रह जायेगी।'' {अर्रहमानः २६-२७}

क़ुरआन व हदीस की रोशनी में मरने के बाद होने वाली चीज़ें जिन पर ईमान रखना वाजिब है, उन में सेः

❁ क़ब्र के फ़ितने (सवाल व जवाब), उसका अ़ज़ाब और उसकी नेमतों पर ईमान रखना।

❁ मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किये जाने और उठाये जाने पर ईमान रखना। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ﴾ [يس: ٥١]

''और सूर के फूँके जाते ही सब के सब अपनी क़ब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ़ (तेज़ तेज़) चलने लगेंगे।'' {यासीनः ५१}

दोबारा ज़िंदा किये जाने तथा उठाये जाने के बारे में शक करने वाला काफ़िर है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾

[الجاثية: ٣١ - ٣٢]

''लेकिन जिन लोगों ने कुफ़्र किया तो (मैं उन से कहूँगा) क्या मेरी आयतें

तुम्हें सुनाई नहीं जाती थीं? फिर भी तुम तकब्बुर करते रहे और तुम थे ही गुनाह गार लोग। और जब कभी कहा जाता कि अल्लाह का वादा यक़ीनन सच्चा है और क़ियामत के आने में कोई शक नहीं, तो तुम जवाब देते थे कि हम नहीं जानते क़ियामत क्या चीज़ है? हमें कुछ यूँ ही सा ख़्याल हो जाता है लेकिन हमें यक़ीन नहीं।" {अल्जासियाः ३१-३२}

चुनांचि आख़िरत के झुटलाने वाले के काफ़िर होने में कोई शक ही नहीं। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿بَلۡ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِۖ وَأَعۡتَدۡنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا﴾ [الفرقان: ١١]

"बात यह है कि यह लोग क़ियामत को झूट समझते हैं, और क़ियामत के झुटलाने वालों के लिए हम ने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है।" {अल्फ़ुरक़ानः ११}

❁ हिसाब निकाश पर ईमान रखना। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَنَضَعُ ٱلۡمَوَٰزِينَ ٱلۡقِسۡطَ لِيَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَيۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]

"और हम क़ियामत के दिन उनके बीच ठीक-ठीक तौल की तराज़ू ला रखेंगे, फिर किसी पर कुछ भी ज़ुल्म न किया जायेगा। और अगर एक सरसों के दाने के बराबर भी अ़मल होगा हम उसे ला हाज़िर करेंगे, और हम काफ़ी हैं हिसाब करने वाले।" {अल्अम्बियाः ४७}

❁ सवाब व एक़ाब (प्रतिदान तथा शास्ति) और जन्नत व जहन्नम पर ईमान रखना। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمۡ فِيهَا زَفِيرٞ وَشَهِيقٞ﴾ [هود: ١٠٦]

"लेकिन जो बद बख़्त हूँगे, वहाँ चीखेंगे चिल्लायेंगे।" {हूदः १०६}

और एक दूसरे मक़ाम पर फ़रमायाः

﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلۡجَنَّةِ﴾ [هود: ١٠٨]

"लेकिन जो नेक बख़्त किये जायेंगे वह जन्नत में हूँगे।" {हूदः १०८}

काफ़िर लोग जहन्नम में हूँगे और मु'मिनीन जन्नत में हूँगे। जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّٰصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾

[آل عمران: ٥٦-٥٧]

"फिर काफ़िरों को तो दुनिया और आख़िरत में सख़्त तर अ़ज़ाब दूँगा और उनका कोई मददगार न होगा। लेकिन ईमान वालों और नेक आमाल वालों को अल्लाह उनका सवाब पूरा पूरा देगा। और अल्लाह ज़ालिमों से महब्बत नहीं करता।" {आले इमरानः ५६-५७}

❁ और क़ुरआन व हदीस से साबित तथा प्रमाणित आख़िरत के तमाम उमूर (विषयों) -जैसे पुलसिरात, मीज़ान, हौज़ और नेकी व बदी के आमाल नामे- पर ईमान रखना वाजिब है।

❁ ❁ ❁

बारहवीं झलकी
इमामे वक़्त और शासक की इत़ाअ़त

जमाअ़त को लाज़िम पकड़ना वाजिब है, और इमाम तथा शासक के बग़ैर कोई जमाअ़त नहीं। और अल्लाह की इत़ाअ़त करते हुये मुसलमानों के इमाम की इत़ाअ़त की जायेगी। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ ﴾ [النساء: ٥٩]

''ऐ ईमान वालो! फ़रमा बरदारी करो अल्लाह की और फ़रमा बरदारी करो रसूल की और अपने में से (यानी मुसलमानों में से) अख़्तियार वालों की।'' {अन्निसाः ५९}

न क़ाफ़िर की इमामत (उसको शासक बनाना) सहीह है और न उस से बैअ़त तथा शपथ करना जायज़ है। और काफ़िर शासक का हुक्म मानना उसकी भलाई के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए वाजिब होगा।

अगर शासक तथा हाकिम आ़लिमे दीन (दीन का जानकार) न हो तो किसी आ़लिम को अपना मुआ़विन तथा सहयोगी बना लेंगे ताकि दीन और दुनिया दोनों का मामला ठीक ठाक रहे। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡ ﴾ [النساء: ٨٣]

''जहाँ उन्हें कोई ख़बर अम्न की या ख़ौफ़ की मिली उन्हों ने उसे मशहूर करना शुरू कर दिया, हालाँकि अगर यह लोग रसूल के और अपने में से ऐसी बातों की तह तक पहुँचने वाले के हवाले कर देते, तो उसकी हक़ीक़त वह लोग मालूम कर लेते जो नतीजा अख़्ज़ करते हैं।'' {अन्निसाः ८३} और नतीजा अख़्ज़ करना यानी मसअले की तथ्य तथा उसकी हक़ीक़त खोज कर निकालना यह उ़लमा ही का काम है।

इमामे वक़्त (शासक) पर बग़ावत तथा विद्रोह करना और उसके हुक्म की विरोधिता करना जायज़ नहीं है। और उसके ज़ुल्म व जफ़ा पर उस वक़्त तक सब्र किया जायेगा जब तक उस से वाज़ेह तथा प्रकाश्य कुफ़्र सर ज़द न हो। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से मर्वी है कि नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوْا» [رواه مسلم: ١٨٥٤]

''तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसे अमीर और हाकिम मुक़र्रर किये जायेंगे, जिन से तुम कुछ भली तथा शरीअ़त सम्मत चीज़ें भी पाओगे और कुछ बुरी तथा शरीअ़त विरोधी चीज़ें भी। पस जो नापसंद करेगा वह (गुनाहों से) बरी हो जायेगा। और जो इंकार करेगा वह (पैरवी और मुतालबे) से महफ़ूज़ हो जायेगा। लेकिन जो रिज़ामंदी का इज़हार करते हुये उसकी पैरवी करेगा वह गुनाह में वाक़े हो जायेगा।'' सहाबा किराम ﷺ ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम उन से जिहाद और जंग व क़िताल न करें? आप ﷺ ने जवाब में इरशाद फ़रमायाः ''नहीं, जब तक वह नमाज़ के पाबंद रहें।'' {मुस्लिमः १८५४}

और उस से बदला लेने तथा दिल की भड़ास निकालने की ग़र्ज़ से नहीं बल्कि बुराई दूर करने की ग़र्ज़ से उसे इल्म व हिक्मत के साथ नसीहत की जायेगी। तमीम दारी ﷺ से मर्वी है कि नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» [رواه مسلم: ٥٥]

''दीन उपदेश तथा ख़ैर ख़ाही का नाम है।'' हम सब ने पूछाः यह किसके लिए है? आप ﷺ ने फ़रमायाः ''अल्लाह, उसकी किताब, उसके रसूल, मुसलमानों के इमामों और आ़म लोगों के लिए है।'' {मुस्लिमः ५५}

उसके पोशीदा ऐबों को टटोल कर निकालना, उसकी ज़ाती लग़ज़िशों (व्यक्तिगत भूल त्रुटि) को आ़म करना और उसकी ग़लतीयों तथा कोताहीयों को मंज़रे आ़म पर लाना और प्रचार प्रसार करना जायज़ नहीं है। बल्कि ज़ाती तौर पर (एकांत रूप से) उसको नसीहत की जायेगी।

अगर हाकिम लोगों के लिए किसी ग़ैर शरई चीज़ को शरीअ़त बना कर

पेश करते हुये उसको आ़म करे, तो अगर यह पता चले कि उसको तनहाई में नसीहत किये जाने पर वह तौबा करके लौट आयेगा और सुधर जायेगा तो उसके साथ यही किया जायेगा। और अगर इसकी उम्मीद न हो तो उस ग़ैर शरई़ चीज़ का लोगों के सामने बयान करना वाजिब होगा, क्योंकि यही है उनकी ख़ैर ख़ाही (कल्याण कामना), नीज़ ख़ुद उसका तथा लोगों का दीनी अधिकार भी है। ताकि शरीअ़त बदल न जाये और दीन परिवर्तन का निशाना न बने। और इस हदीस में:

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

''दीन उपदेश तथा ख़ैर ख़ाही का नाम है।'' हम सब ने पूछा: यह किसके लिए है? आप ﷺ ने फ़रमाया: ''अल्लाह, उसकी किताब, उसके रसूल, मुसलमानों के इमामों और आ़म लोगों के लिए है।'' यही कहा गया है। बल्कि यह ख़ैर ख़ाही लोगों के दीगर ज़ाती हुक़ूक़ पर मुक़द्दम है।

और आ़लिम को चाहिये कि वह लोगों के मामले तथा उनकी भलाई और कल्याण को छोड़ कर अपने आपको अलग थलग न रखे। क्योंकि दुनिया में अपनी मसलहत से ज़ुह्द व परहेज़गारी अख़्तियार करना महमूद (प्रशंसानीय) है, लेकिन ऐसे उमूर से ज़ुह्द अख़्तियार करना जिन में लोगों की मसलहत है क़ाबिले ता'रीफ़ नहीं है। लिहाज़ा उसे चाहिये कि वह मज़लूम को उसका हक़ दिलाने में उसकी मदद करे अगरचे एक ही दिरहम क्यों न हो। और भूकों के लिए खाने का बंदोबस्त करे अगरचे एक ख़जूर के ज़रीया ही क्यों न हो। इस लिए कि आ़लिम को दुनिया में विलायत का दर्जा हासिल है। और लोगों की दुनिया सुधारना उनके दीन सुधारने का दरवाज़ा और ज़रीया है। नबी ﷺ ने कभी दुनिया के ख़ज़ाने की तरफ़ सर उठा के नहीं देखा, लेकिन कुछ ही दीनार के बारे में बरीरा तथा औरों की मदद फ़रमाई, और इसके मुतअ़ल्लिक़ लोगों में ख़ुत्बा भी दिया।

तेरहवीं झलकी
जिहाद

क़ियामत क़ायम होने तक जिहाद जारी व सारी (चालू) रहेगा। रूये ज़मीन (धरती) से कभी भी उसका हुक्म मनसूख़ (विधान रहित) नहीं किया जायेगा जब तक क़ुरआन बाक़ी है। जाबिर ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» [رواه مسلم: ١٥٦]

''क़ियामत तक हमेशा मेरी उम्मत में से एक ऐसा ग़ालिब गरोह (विजयी दल) रहेगा, जो हक़ तथा सत्य पर जिहाद करता रहेगा।'' {मुस्लिमः १५६}

दिफ़ाई जिहाद के लिए न तो इमाम तथा शासक की इजाज़त की ज़रूरत है और न किसी तरह की नीयत की शर्त है सिवाय तक्लीफ़ दूर करने और उसे प्रतिहत करने की नीयत के। यह दिफ़ाई जिहाद वाजिब है चाहे वह इ़ज़्ज़त व आबरू के दिफ़ाअ़ के लिए हो या जान अथवा माल की हिफ़ाज़त के लिए हो। सईद बिन ज़ैद ﷺ से मर्वी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ،وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ».

[رواه أبو داود: ٤٧٧٢، والترمذي: ١٤٢١، والنسائي: ٤٠٩٥، وابن ماجه: ٢٥٨٠ مختصرا. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وهو في الصحيح مختصر، صحيح البخاري: ٢٣٤٨، وصحيح مسلم: ١٤١، من حديث عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما].

''जो शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त में क़त्ल कर दिया जाये वह शहीद है, और जो शख़्स अपने अह्ल व अ़याल (परिवार-परिजन) अथवा अपने ख़ून या अपने दीन की हिफ़ाज़त में दिफ़ा करते हुये क़त्ल कर दिया जाये वह भी शहीद है।'' {अबू दाऊदः ४७७२, तिर्मिज़ीः १४२१, नसाईः ४०९५, इब्नु माजाः २५८०। इमाम तिर्मिज़ी ने कहाः यह हदीस हसन है। और यह हदीस मुख़्तसरन् सहीहैन में है, रावी हैंः अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा। बुख़ारीः २३४८, मुस्लिमः १४१}

मान-सम्मान तथा जान व माल पर हमला आवर को दिफ़ा (आक्रमणकारी को प्रतिहत) करना वाजिब है, चाहे हमला आवर मुशरिक हो या मुस्लिम। क्योंकि सुनन नसाई में क़ाबूस से मर्वी है, वह अपने बाप से रिवायत करते हैं, उन्हों ने कहा:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَأْتِينِي يُرِيدُ مَالِي؟ قَالَ: «**ذَكِّرْهُ بِاللهِ**»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَذَّكَّرْ؟ قَالَ: «**فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ**»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «**فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ السُّلْطَانَ**»، قَالَ: فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي؟ قَالَ: «**قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ؛ حَتَّى تَكُونَ مِنْ شُهَدَاءِ الآخِرَةِ، أَوْ تَمْنَعَ مَالَكَ**». [رواه النسائي: ٤٠٨١، وابن أبي شيبة: ٢٨٠٤٣، وأحمد: ٢٢٥١٤، والطبراني في الكبير: ٢٠/٣١٣].

एक आदमी नबी ﷺ के पास हाज़िर हो कर पूछने लगा कि: अगर कोई शख़्स मेरे पास आ कर मेरा माल लेना तथा हड़पना चाहे? (तो मैं क्या करूँ?) आप ﷺ ने फ़रमाया: ''उसे अल्लाह का वास्ता दे कर नसीहत करो।'' उस ने कहा: अगर वह नसीहत क़बूल न करे? आप ﷺ ने फ़रमाया: ''अपने आस पास के मुसलमानों से उसके ख़िलाफ़ मदद तलब करो।'' कहा: अगर मेरे आस पास के मुसलमानों में से कोई न हो तो? आप ﷺ ने फ़रमाया: ''उसके ख़िलाफ़ हुकूमत (प्रशासन) से मदद तलब करो।'' कहा: अगर हुकूमत मुझ से दूर रहे? आप ﷺ ने फ़रमाया: तो फिर तुम अपने की हिफ़ाज़त में लड़ते रहो, यहाँ तक कि आख़िरत के शहीदों में से हो जाओ, या उस से अपने माल को रोक लो।'' {नसाई: ४०८१, इब्नु अबी शैबा: २८०४३, मुस्नद अहमद: २२५१४, तबरानी कबीर: २०/३१३}

तलब वाले जिहाद में (काफ़िरों की सर ज़मीन में जा कर किये जाने वाले जिहाद में) अल्लाह के कलमे की सर बुलंदी (विजय) की नीयत करना वाजिब है। अबू मूसा अशअ़री ﷺ से मर्वी है कि एक शख़्स ने नबी ﷺ के पास आ कर पूछा:

يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «**مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ أَعْلَى، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ**» [رواه البخاري: ١٢٣، ٢٦٥٥، ومسلم: ١٩٠٤]

ऐ अल्लाह के रसूल! एक आदमी माले ग़नीमत हासिल करने की नीयत से जिहाद करता है, और दूसरा शुहरत तलबी की ग़र्ज़ (प्रसिद्धि लाभ करने के

उद्देश) से लड़ाई करता है, और तीसरा इस लिए क़िताल करता है कि उसका कमाल देखा जाये, तो इन में से कौन अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला है? आप ﷺ ने फ़रमायाः ''जो शख़्स इस नीयत से जिहाद करता है कि अल्लाह के कलमे का बोल बाला हो, तो वह अल्लाह के रास्तें में जिहाद करने वाला है।'' {बुख़ारीः १२३, २६५५, मुस्लिमः १९०४}

तलब वाले जिहाद में इमामे वक़्त (शासक / अमीर) की इताअ़त वाजिब है। अल्लाह की नाफ़रमानी के अ़लावा में उसकी बात सुनी तथा मानी जायेगी। अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है, उन्हों ने कहाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

«**مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي**» [رواه البخاري: ٦٧١٨، ومسلم: ١٨٣٥]

''जिस ने मेरी इताअ़त की उस ने यक़ीनन अल्लाह की इताअ़त की, और जिस ने मेरी नाफ़रमानी की उस ने यक़ीनन अल्लाह की नाफ़रमानी की। और जिस ने मेरे अमीर की इताअ़त की उस ने यक़ीनन मेरी इताअ़त की, और जिस ने मेरे अमीर की नाफ़रमानी की उस ने यक़ीनन मेरी नाफ़रमानी की।'' {बुख़ारीः ६७१८, मुस्लिमः १८३५}

चौदहवीं झलकी
सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम

अम्बिया के बाद लोगों में सब से बेहतर मुहम्मद ﷺ के सहाबा हैं। उनकी फ़ज़ीलत में वह्य आई है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَىٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا﴾ [الفتح : ٢٩]

''मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं काफ़िरों पर सख़्त हैं, आपस में रहम दिल हैं, आप उन्हें देखेंगे कि रुकू और सज्दे कर रहे हैं, अल्लाह के फ़ज़्ल और रिज़ामंदी की तलाश में हैं।'' {अल्फ़त्हः २९}

जिस तरह अम्बिया अ़लैहिमुस सलाम एक दूसरे से अफ़ज़ल और बेहतर हैं उसी तरह सहाबा किराम ﷺ भी आपस में एक दूसरे से अफ़ज़ल हैं। और नबीयों में जिस नबी का सब से कम रुत्बा है, वह सहाबीयों में सब से बुलंद रुत्बे के हामिल सहाबी से अफ़ज़ल हैं। इसी तरह सहाबीयों में जिस सहाबी का मक़ाम सब से कम है, वह ताबिईन में सब से आ'ला मक़ाम हासिल करने वाले ताबिई से अफ़ज़ल हैं।

सहाबीयों में सब से अफ़ज़ल पहले पहल इस्लाम क़बूल करने वाले सहाबा हैं। क्योंकि जो शख़्स नबी ﷺ पर कमज़ोरी के अय्याम में (दूर्बलता के समयकाल में) ईमान लाये, वह उस शख़्स से ज़्यादा क़रीब हैं जो क़ुव्वत के अय्याम में आप ﷺ पर ईमान लाये। चुनांचि फ़त्हे मक्का से पहले इस्लाम लाने वाले सहाबये किराम उसके बाद इस्लाम क़बूल करने वालों से अफ़ज़ल और बेहतर हैं। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَٰتَلُوا۟﴾ [الحديد : ١٠]

''तुम में से जिन लोगों ने फ़त्ह से पहले अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया है और जिहाद किया है वह (दूसरों के) बराबर नहीं, बल्कि उन से बहुत बड़े दर्जे के हैं जिन्हों ने फ़त्ह के बाद ख़ैरातें दीं और जिहाद किये।'' {अल्हदीदः १०}

अल्बत्ता फ़त्हे मक्का के बाद ईमान लाने वाले सहाबये किराम सुहबत में (सहाबी होने में) फ़त्हे मक्का से पहले ईमान लाने वालों के साथ शरीक और बराबर हैं। इस लिए कि अल्लाह तआ़ला ने इस के बाद फ़रमायाः

﴿وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ﴾ [الحديد : ١٠]

''हाँ भलाई का वादा अल्लाह का उन सब से है।'' {अल्हदीदः १०}

और एक दूसरे मक़ाम पर फ़रमायाः

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ﴾ [التوبة : ١٠٠]

''और मुहाजिरीन तथा अन्सार में से जो पहले पहल इस्लाम लाये और जितने लोग इख़्लास के साथ उनके पैरो (अनुयायी) हैं अल्लाह उन सब से राज़ी हुआ और वह सब उस से राज़ी हुये।'' {अत्तौबाः १००}

पहले पहल इस्लाम क़बूल करने वालों में सब से अफ़ज़ल वह दस ख़ुश नसीब हैं जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत (सुसंवाद) दे दी गई। और इन दसों में सब से अफ़ज़ल चार ख़लीफ़ा हैं, फिर जो जंगे बदर में शरीक हुये, फिर जो सुलहे हुदैबिया के मौक़े पर दरख़्त के नीचे आपके हाथ पर बैअ़त किये। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿لَّقَدْ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح : ١٨]

''यक़ीनन अल्लाह मु'मिनों से ख़ुश हो गया जब कि वह दरख़्त तले तुझ से बैअ़त कर रहे थे। उनके दिलों में जो था उसे उस ने मालूम कर लिया और उन पर इतमीनान नाज़िल फ़रमाया और उन्हें क़रीब की फ़त्ह इनायत फ़रमाई।'' {अल्फ़त्हः १८}

और सहीह बुख़ारी में जाबिर ﷺ से मर्वी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने दरख़्त के नीचे बैअ़त करने वाले सहाबये किराम से फ़रमायाः

«أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ».

''तुम रूये ज़मीन पर (पृथ्वी वासीयों में) सब से बेहतर हो।'' {सहीह बुख़ारीः ४१५४} और उनकी तादाद चौदह सौ थी।

सहाबा ﷺ वह्य के उठाने तथा संभालने वाले और दीन को पहूँचाने वाले हैं। लिहाज़ा उनके बारे में तान व तशनी करना (बुरा भला कहना) दीन के सूत्रों (सनद) को काट देना और सैयेदुल मुरसलीन (रसूलों के सरदार मुहम्मद ﷺ) की सुन्नत में शक पैदा करना है। हालाँकि (अथच) नबी ﷺ के बाद वही थे अमान तथा संरक्षक। नबी ﷺ ने फ़रमायाः

«أَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، أَتَى أُمَّتِي مَا يُوْعَدُونَ». [رواه مسلم برقم: ٢٥٣١]

''मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमान हैं, पस जब वह चले जायेंगे तो उन पर वह फ़ित्ने आयेंगे जिनका वह वादा किये गये हैं।'' {मुस्लिमः २५३१}

और वह मासूम नहीं थे, पर यह जायज़ नहीं कि उन से सर ज़द ख़ता (हुई भूल चूक) को उनके बारे में तान तशनी (कटुक्ति) का ज़रीया बनाया जाये। नीज़ उनके दरमियान हुये इख़्तिलाफ़ात (संघटित मतभेदों) को ज़िंदा और उजागर करने से परहेज़ किया जाये। अल्बत्ता उन इख़्तिलाफ़ात को उजागर करने में कोई हरज नहीं जिन में फ़िक्ह और इबरत तथा शिक्षा है, फिर भी उन में उनके अदब व इहतिराम का पूरा ख़्याल रखा जाये और साथ ही उनको माजूर समझा जाये। क्योंकि सहाबये किराम ﷺ -अगरचे उन में इख़्तिलाफ़ हुआ- ऐसे दूसरों से अफ़ज़ल हैं जिन में इख़्तिलाफ़ नहीं हुआ। इस लिए कि अल्लाह तआ़ला ने उनको नबी ﷺ के साथ हुस्ने सुहबत (अच्छी तरह गुज़र बसर करने और साथ रहने) के कारण दूसरों पर फ़ज़ीलत व फ़ौक़ीयत (प्रधानता) बख़्शी है। उनको दूसरों पर फ़ज़ीलत व फ़ौक़ीयत इस लिए नहीं है कि वह आपस में एक दूसरे के साथ रहे हैं। पस उनके आपसी इख़्तिलाफ़ात उस इजतिहाद के क़बील से है जिस पर वह अज्र व सवाब से नवाज़े जायेंगे अगरचे ख़ता किये हूँ। और नबी ﷺ से इख़्तिलाफ़ तथा आप का विरोध करना ज़ुल्म व अन्याय है जिस से अल्लाह तआ़ला ने उनको बरी तथा मुक्त कर दिया है, बल्कि वह आपकी सुहबत से मुशर्रफ़ (सम्मानित) हुये और आपके साथ अच्छे अंदाज़ में रहन सहन किये। और यही सबब है कि अल्लाह ने उनको दूसरों पर फ़ज़ीलत बख़्शी तथा मर्यादा प्रदान किया।

सहाबा ﷺ के दरमियान आपसी इख़्तिलाफ़ात ऐसा दरवाज़ा है कि अगर उन में से किसी एक के बारे में खोल दिया जाये तो बाक़ी सब के बारे में खुल जायेगा। इसी लिए ताबेईन और तबये ताबेईन सहाबा के बीच वाक़ेअ़ होने वाले इख़्तिलाफ़ात से अपनी ज़ुबानों पर लगाम लगाये हुये थे। चुनांचि जब उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ से अ़ली और उ़समान रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा के बारे में तथा जंगे जमल और जंगे सिफ़्फ़ीन से मुतअ़ल्लिक़ पूछा गया तो उन्हों ने फ़रमायाः

‘‘यह वह ख़ून था जिस से अल्लाह तआ़ला ने मेरे हाथों को महफ़ूज़ रखा है, और मैं ना पसंद करता हूँ कि मैं उस में अपनी ज़ुबान को दाख़िल करूँ (यानी उनके बारे में कुछ मंतव्य करूँ)।’’ {इब्ने सअ़्द रचित अत्तबक़ातुल कुब्राः ५/३६४, और इब्ने अ़साकिर रचित तारीख़ु दिमश्क़ः ६५/१३३}

नीज़ सहाबा ﷺ के बाद आने वाले लोग उनके दरमियान वाक़ेअ़ इख़्तिलाफ़ात के बारे में सवाल भी नहीं किये जायेंगे। वह तो इस बारे में सवाल किये जायेंगे कि वह उनकी फ़ज़ीलत की तसदीक़ करते थे या नहीं (यानी उनके मर्यादा की पुष्टि करते थे या नहीं)।

पंदरहवीं झलकी
स्पष्ट दलील के बिना कुफ़्र का फ़त्वा न लगाना

हम अहले क़िब्ला (मुसलमानों) में से किसी को कुफ़्र के अ़लावा किसी और गुनाह के कारण काफ़िर नहीं गर्दानेंगे।

अल्लाह को गाली देना तथा उसे बुरा भला कहना कुफ़्र में शामिल है। बल्कि यह उसके साथ शिर्क करने से भी बड़ा है, क्योंकि मुशरिक अल्लाह को पत्थर के रुत्बे तक नहीं पहूँचाता है, बल्कि पत्थर को अल्लाह के रुत्बे तक पहूँचाता है। अल्लाह तआ़ला पत्थरों के पूजने वालों की बात नक़्ल करते हुये फ़रमाता है कि वह क़ियामत के दिन पत्थरों से कहेंगे कि:

﴿ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٧ – ٩٨]

''अल्लाह की क़सम! यक़ीनन हम तो खुली ग़लती पर थे, जब हम तुम्हें सारे जहान के रब के बराबर समझ बैठे थे।'' {अश्शुअ़राः ९७-९८}

अल्लाह को गाली देना तथा उसे बुरा भला कहना बड़ा कुफ़्र है। और कुफ़्र ईमान की तरह घटता बढ़ता है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿إِنَّمَا ٱلنَّسِىٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ﴾ [التوبة: ٣٧]

''महीनों को आगे पीछे कर देना कुफ़्र में ज़्यादती है।'' {अत्तौबाः ३७}

और एक दूसरी जगह इरशाद फ़रमायाः

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ﴾

[آل عمران: ٩٠]

''बेशक जो लोग अपने ईमान लाने के बाद कुफ़्र करें, फिर वह कुफ़्र में बढ़ जायें, उनकी तौबा हरगिज़ हरगिज़ क़बूल न की जायेगी, यही गुमराह लोग हैं।'' {आले इम्रानः ९०}

लेकिन कुफ़्र के बढ़ने या घटने का यह मतलब नहीं कि काफ़िर को जहन्नम की आग से निकाल देगा, बल्कि यह अ़ज़ाब को सख़्त करेगा या उसे हल्का करेगा। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ﴾

[النحل:٨٨]

"जिन्हों ने कुफ़्र किया और अल्लाह की राह से रोका हम उन्हें अ़ज़ाब पर अ़ज़ाब बढ़ाते जायेंगे, यह बदला होगा उनके फ़ित्ना फ़साद मचाने का।" {अन्नह्लः ८८}

अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जिसके जन्नती या जहन्नमी होने की गवाही दी है, हम उनके अ़लावा किसी ख़ास व्यक्ति के बारे में जन्नती या जहन्नमी होने की गवाही नहीं देंगे, बल्कि हम गवाही देंगे कि जो ईमान की हालत में मरे वह जन्नतीयों में से है, और जो कुफ़्र की हालत में मरे वह जहन्नमीयों में से है।

सोलहवीं झलकी
हुर्रिय्यत और आज़ादी

हुर्रिय्यत की हक़ीक़त (वास्तविकता): अल्लाह को छोड़कर हर एक की ग़ुलामी से मुक्तता और आज़ादी का नाम हुर्रिय्यत है। और हुर्रिय्यत से यह समझना कि वह अल्लाह के हुक्म से निकलना और उस से भागना है तो यह नफ़्स परस्ती (आत्मा की पूजा) तथा ख़ाहिशात और मनोच्छाओं की ग़ुलामी है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया:

﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: ٢٣]

"क्या आप ने उसे भी देखा जिस ने अपनी मनोच्छाओं को अपना माबूद बना रखा है, और समझ बूझ के बावजूद अल्लाह ने उसे गुमराह कर दिया है, और उसके कान तथा दिल पर मुहर लगा दी है, और उसकी आँख पर भी पर्दा डाल दिया है। अब ऐसे शख़्स को अल्लाह के बाद कौन हिदायत दे सकता है? क्या अब भी तुम नसीहत नहीं पकड़ते?" {अल्जासियाः २३}

और जो शख़्स जायज़ क़रार दे कि इंसान जो चाहे, जैसे चाहे और जब चाहे कर तथा कह सकता है, तो वह इस बात का इक़रार करता है कि वह अपनी ख़ाहिशात और शैतान का ग़ुलाम है। क्योंकि इंसान बंदा और ग़ुलाम (बना कर) पैदा किया गया है, चुनांचि वह अगर अल्लाह की बंदगी (इबादत) न करे तो निश्चित रूप से (यक़ीनन) अल्लाह के अ़लावा दूसरे का बंदा बन जाता है।

और अगर रूये ज़मीन (पृथ्वी) में एक ही इंसान होता, तो अल्लाह तआ़ला उस पर क़त्ल, तुहमत और ज़िना वग़ैरा की हद्द फ़र्ज़ न फ़रमाता, और पोशीदा चीज़ों तथा औ़रतों से निगाहें नीची करने का हुक्म न देता, नीज़ विरासत के अहकाम भी नाज़िल न फ़रमाते। इसी तरह उस पर ज़िना और सूद वग़ैरा को हराम न करता। बल्कि यह सब कुछ अल्लाह तआ़ला ने इसी लिए लागू किया कि उस इंसान के साथ उसी के जिन्स का दूसरा मौजूद है। अतः जब उसके

अ़लावा की तादाद (यानी इंसानों की संख्या) ज़्यादा होगी, तो ज़िंदगी के नज़्म व नस्क़ (डिसिप्लिन) भी ज़्यादा हूँगे।

इसी प्रकार अगर चाँद अकेला होता, तो अल्लाह तआ़ला उसके लिए इस तरह से तैरने फिरने का निज़ाम और सिस्टम न बनाता। लेकिन ऐसा इसी लिए किया ताकि सूरज, पृथ्वी और सितारों के चलने के साथ उसका (चाँद का) नज़्म व नस्क़ बरक़रार रहे। चुनांचि फ़लक जितने अधिक हूँगे, उतना ही नज़्म व नस्क़ ज़्यादा होगा। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤]

''वह रात से दिन को ऐसे तौर पर छुपा देता है कि वह रात उस दिन के पीछे लपकी चली आती है, और सूरज तथा चाँद और दूसरे सितारों को पैदा किया, ऐसे तौर पर कि सब उसके हुक्म के ताबे (अधीन) हैं। याद रखो! अल्लाह ही के लिए ख़ास है ख़ालिक़ (स्रष्टा) होना और हाकिम होना, बड़ा ही बरकत वाला है अल्लाह जो तमाम दुनिया का प्रतिपालक (परवरदिगार) है।'' {अल्आराफ़ः ५४}

और एक दूसरी जगह इरशाद फ़रमायाः

﴿لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٤٠]

''न सूरज की यह मजाल है कि चाँद को पकड़े और न रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है, और सब के सब आसमान में (अपने अपने कक्ष में) तैरते फिरते हैं।'' {यासीनः ४०}

इस्लामी अहकामात (विधि-विधान) दीन और दुनिया दोनों की ज़ब्त और सेटिंग तथा उनके अनुशासन के लिए आये हैं। पस जो व्यक्ति अपने लिए अल्लाह के हुक्म से निकलने को जायज़ क़रार दे वह अल्लाह की सज़ा का हक़दार है।

इस्लाम में दाख़िल होना ज़रुरी तथा यक़ीनी है, और उस से निकल जाना रिद्दत (धर्म त्यागी होना) है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ [البقرة: ٢١٧]

''और तुम में से जो लोग अपने दीन से पलट जायें और कुफ़्र की हालत में मरें,

उनके दुनयावी और उख़रवी आमाल बरबाद हो जायेंगे, और यह लोग जहन्नमी हूँगे तथा हमेशा हमेशा (सदा सर्वदा) जहन्नम ही में रहेंगे।" {अल्बक़राः २१७}

और सहीह बुख़ारी वग़ैरा में इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से मर्वी (वर्णित) हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» [البخاري: ٢٨٥٤]

"जो अपना दीन बदल डाले (मुरतद हो जाये) उसको क़त्ल कर दो।" {बुख़ारीः २८५४}

सृष्टि तथा अस्तित्व का लक्ष्य अल्लाह की दासत्व है (पैदाइश और वजूद का मक़सद अल्लाह की ग़ुलामी है)। पस जिस ने इस ग़ुलामी से निकलने को जायज़ क़रार दिया, तो वह इस बात पर ईमान नहीं रखता है कि यही उसकी ईजाद का मक़सद है। अ़जब है कि वह दुनियावी क़ानून और मुल्की निज़ाम से निकलने को जायज़ नहीं समझता, लेकिन अल्लाह की ग़ुलामी से निकलने को जायज़ समझता है। और यह इस बात का गोपनीय स्वीकृति (बातिनी इक़रार) है कि मख़लूक़ की ईजाद के मक़सद में उसका ईमान कमज़ोर है या उसके दिल से उसका ख़ातिमा (अवसान) हो चुका है। हालाँकि अल्लाह तआ़ला फ़रमाता हैः

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]

"मैं ने जिन्नात और इंसानों को इसी लिए पैदा किया है कि वह सिर्फ़ मेरी ही इबादत करें।" {अज़्ज़ारियातः ५६}

जिस ने इंसानों और जिन्नात को दुनिया में अपनी इबादत के लिए वुजूद बख़्शा वही उन्हें आख़िरत में हिसाब-निकाश तथा सवाब और सज़ा के लिए वुजूद बख़शेगा।

अल्लाह तआ़ला हमारे वर्तमान और भविष्य (अब की हालत और अंजाम) को सुधार दे।

अल्लाह तआ़ला अपने नबी और उनके मुत्तबिईन (अनुसारीयों) पर दुरूद व सलाम नाज़िल फ़रमाये।

IslamHouse.com

Hindi.IslamHouse @IslamHouseHi IslamHouseHi https://islamhouse.com/hi/

IslamHouseHi

For more details visit
www.GuideToIslam.com

GUIDE TO ISLAM

contact us :Books@guidetoislam.com

Guidetolslam.org Guidetoislam1 Guidetoislam www.Guidetoislam.com

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

هاتف: ٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧

ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH

P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126

इस्लामी अ़क़ीदा की चंद झलकीयाँ

इस किताब में है: ♦ बंदों पर अल्लाह का हक़ ♦ प्यारा दीन इस्लाम है ♦ इस्लाम की तफ़सीर का मसदर ♦ कुफ़्र और ईमान ♦ अल्लाह के असमा व सिफ़ात ♦ अक़्ल और वह्य ♦ शरीअ़त साज़ी ♦ तक़दीर ♦ हाकिम की इताअ़त ♦ जिहाद ♦ हुर्रियत का मतलब।

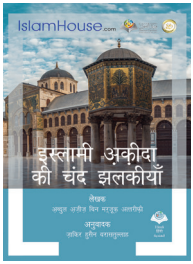

IslamHouse.com

Osoul Center
www.osoulcenter.com